

## आयुर्ज्ञान के लिए आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना हेतु दिशानिर्देश

### **1. पृष्ठभूमि:**

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा एवं होम्योपैथी में समग्र उपचार की व्यवस्था है, जिसमें रोग निवारण, स्वास्थ्यवर्धन, रोगहर, स्वास्थ्य-सुधार तथा कायाकल्प संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। चिकित्सा शास्त्र की ये पद्धतियां सामान्यतः लागत प्रभावी तथा उपयोगी होती हैं, तथा विश्व स्तर पर इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चिकित्सा-शास्त्र की आयुष पद्धतियों का सदियों से प्रयोग किया जा रहा है, तथा स्वीकार्यता तथा अभ्यास की इन परम्पराओं का तभी से निरंतर प्रयोग किया जा रहा है। विश्व स्तर पर अधिकांश वर्गों के लोगों को चिकित्सा शास्त्र की आयुष पद्धतियों की जानकारी तथा लाभ का प्रचार करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के पास आयुष शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो पृथक योजनाएं हैं। अब, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही योजना नामतः “आयुर्ज्ञान योजना” के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ताकि शैक्षणिक कार्यकलापों, प्रशिक्षण, क्षमता-वर्धन आदि के माध्यम से आयुष शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।

### **आयुष में क्षमता-वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)**

क्षमता-वर्धन “उन दक्षताओं, सहज वृत्तियों, क्षमताओं, प्रक्रियाओं और संसाधनों के विकास और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है जिन्हें संगठनों और समुदायों को तेजी से बदलते विश्व में जीवित और अनुकूल बनाए रखने और सतत विकास करने की जरूरत है।” बदलाव, क्षमता-वर्धन का आवश्यक घटक है जो समय-समय पर उत्पन्न और निरंतर होता है।

सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) योजना, 11वीं योजना में कार्यान्वित की गई थी और तब से चल रही है। इस योजना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयुष शिक्षकों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल और अन्य कार्मिकों को शामिल किया गया था। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में उनकी पेशेवर सक्षमता और दक्षता का उन्नयन करने और उनकी क्षमता-वर्धन के लिए अभी भी निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल और वैज्ञानिक नतीजों की उभरती प्रवृत्तियों को देखते हुए यह जरूरी है कि शिक्षकों, चिकित्साभ्यासियों, अनुसंधानकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के पेशेवर ज्ञान में समय-समय पर वृद्धि की जाए। इस योजना की समग्र संरचना का लक्ष्य आयुष कार्मिकों को आवश्यकता-आधारित पेशेवर प्रशिक्षण पाने और ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सचिवों के सेक्टरल ग्रुप ने सिफारिश में आयुष कार्यबल के क्षमता-वर्धन का सुझाव दिया है।

### **आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार**

आयुष (AYUSH), आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के प्रथम अक्षरों के मेल से बना है और इसमें विभिन्न विकारों और रोगों की रोकथाम और उपचार हेतु इन पद्धतियों में प्रलेखित और प्रयुक्त उपचार शामिल हैं। भारत में इन पद्धतियों के तहत शिक्षण

और नैदानिक देखभाल के लिए व्यापक ढांचागत सुविधा उपलब्ध है। तथापि, इन उपचारों की वैज्ञानिक प्रमाणिकता अभी बड़े स्तर पर जी जानी है। तत्कालीन आयुष विभाग ने तीन दशक पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए गठित अनुसंधान परिषदों द्वारा शुरू किए गए **बहिर्वर्ती अनुसंधान** के अलावा **अंतर्वर्ती अनुसंधान** की योजना शुरू की थी। इस योजना की शुरुआत और इसके नतीजे अभी तक सीमित रहे हैं और इसे अभी वैज्ञानिक जांच और नतीजों के मानकों को प्रभावी ढंग से पूरा करना है। विभाग ने कार्यक्रमों/उपचारों की एक श्रृंखला शुरू की है जहां कारगरता के दावों के लिए प्रमाण-आधारित समर्थन की जरूरत है। उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतरता की भी बहुत अधिक जरूरत है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में और पारंपरिक तथा हर्बल चिकित्सा के बढ़तेविश्व बाजार को देखते हुए, दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, टॉयलेटरीज़ और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास की जरूरत है।

हर्बल उत्पादों के व्यापार में अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी नगण्य है। इसलिए संशोधित बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजना को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि अनुसंधान निष्कर्षों से आयुष दृष्टिकोण और औषधियों के दावों और स्वीकार्यता का सत्यापन हो सके।

## 2. योजना का उद्देश्य

### 2.क. आयुष में क्षमता-वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)

- i. आयुष स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में देश के स्तर पर घटक क्षमता का निर्माण, संवर्धन और विकास करना।
- ii. आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य पद्धतियों में सुधार करना जो टिकाऊ हैं।
- iii. आयुष पेशेवरों को संगठित तरीके से आवश्यकता आधारित पेशेवर प्रशिक्षण और पेशेवर कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना।
- iv. शिक्षकों और चिकित्सकों के पेशेवर ज्ञान को अद्यतन करना ताकि वे क्रमशः अच्छी शिक्षण पद्धतियों और अच्छी नैदानिक पद्धतियों को अपना सकें।
- v. आयुष संबंधी गतिविधियों और नई जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और वेब आधारित शिक्षा कार्यक्रमों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- vi. स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के मानकों को बनाए रखने के लिए चिकित्सकों को स्वास्थ्य देखभाल के उभरते रुझानों और वैज्ञानिक परिणामों में प्रशिक्षित करना।
- vii. चिकित्सकों को पेशेवर पत्रिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना ताकि उन्हें पेशेवर रूप से अद्यतन बनाए रखा जा सके। आयुष-सीएमई दिशानिर्देश।
- viii. आयुष पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पतालों और औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ix. गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष संस्थानों और अस्पतालों के प्रशासकों के लिए स्वास्थ्य पहलुओं पर आवश्यकता आधारित प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- x. आयुष पद्धतियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में वर्तमान रुझानों की अद्यतन जानकारी लेना और सहयोगात्मक सहयोग के लिए अनुसंधान के क्षेत्रों और अवसरों को उजागर करना।
- xi. आयुष पद्धतियों आदि में विनियामक मुद्दों को संबोधित करने वाले नए अधिनियमों/सूचनाओं और अन्य सूचनाओं के बारे में अवगत कराना।
- xii. आयुष अनुसंधान और शिक्षा के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों का मानकीकरण/सत्यापन और विकास करना।
- xiii. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतःविषयक दृष्टिकोणों के साथ आयुष पद्धति की वैज्ञानिकता की जांच करना।

2.ख. **आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार**

- i. प्राथमिकता वाले रोगों के लिए अनुसंधान और विकास (आर और डी) पर आधारित आयुष दवाओं का विकास;
- ii. आयुष उत्पादों और पद्धतियों के लिए सुरक्षा, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर आंकड़ों का सृजन करना;
- iii. आयुष दवाओं और उपचारों की प्रभावकारिता पर साक्ष्य आधारित समर्थन विकसित करना;
- iv. शास्त्रीय ग्रंथों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आयुष पद्धतियों के मौलिक सिद्धांतों की जांच करना;
- v. कच्ची औषधियों और तैयार-शुदा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं में भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों, माइक्रोबियल लोड, सुरक्षा/विषाक्तता आदि के आंकड़े जुटाना;
- vi. आयुष का निर्यात बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) क्षमता वाले आयुष उत्पादों को विकसित करना;
- vii. आयुष पद्धतियों में संभावित मानव संसाधन विकसित करना, विशेष रूप से आयुष पद्धतियों से संबंधित वैज्ञानिक रुझान और विशेषज्ञता पैदा करने के लिए;
- viii. आयुष विभाग और अन्य संगठनों/संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान उद्यम विकसित करना।

3. **आयुर्ज्ञानयोजना के घटक**

- क. आयुषमेंक्षमतावर्धनऔरसततचिकित्साशिक्षा) सीएमई(; और
- ख. आयुष में अनुसंधान और नवाचार।

3.ख.आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार का कार्यक्षेत्र:

इस योजना का उद्देश्य प्रयोक्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्साभ्यासियों, उद्योगों तथा सामान्य लोगों के लाभ के लिए आयुष पद्धतियों की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के अवसर प्रदान करना है। इस योजनाके पीछे सोच यह है कि जन-स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के हित में आयुष की प्रभावी पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। इसलिए, तैयार किए गए साक्ष्य आयुष के विवेकपूर्ण

उपयोग, नैदानिक अनुप्रयोग का प्रचार करने तथा उसे मुख्यधारा में लाने में सहायक सिद्ध होंगे। यह योजना बहिर्वर्ती अनुसंधान पद्धति में, नैदानिक, मौलिक, औषध विज्ञान, साहित्यिक तथा औषधीय स्वास्थ्यकर पादप अनुसंधान के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करेगी।

#### 4. अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

यह योजना मुख्यतः निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगी:-

- I. आयुष पद्धतियों की आधारभूत संकल्पनाएं, मूल सिद्धांत तथा मत।
- II. आयुष की शास्त्रीय औषधियों, उपचार, उपयोगी सुझाव तथा दृष्टिकोण/उपचार पद्धतियों की सुरक्षा, प्रभाविकता, तथा गुणवत्ता अंतर का मानकीकरण/मान्यकरण।
- III. आयुष औषधि विज्ञान अनुसंधान (नई औषधि का विकास)
  - मानक दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयुष औषधियों का भेषजवैज्ञानिक अध्ययन तथा सुरक्षा एवं विषाक्तता संबंधी मूल्यांकन
  - भेषज-बलगतिकी अध्ययन
  - भेषज क्रिया विज्ञान अध्ययन
  - शास्त्रीय ए.एस.यू. एंड एच भेषजयोग के लिए खुराक के नए रूपों का विकास
  - ए एस यू एंड एच औषधियों के स्थायित्व तथा शैल्फ जीवन का अध्ययन
  - नैदानिक परीक्षण
- IV. धातु सम्मिश्र, भस्म, कुशत, चुंदरम तथा अन्य हर्बो-मिनरल संपाक की वैज्ञानिक दृष्टि से जांच तथा प्रचालन संबंधी अनुसंधान करना।
- V. आयुष पद्धतियों को शामिल करते हुए उपचार के एकीकृत दृष्टिकोण का अध्ययन।
- VI. औषधि अन्योन्यक्रिया, बायो उपलब्धता तथा खुराक का निर्धारण करने के लिए अध्ययन।
- VII. निम्नलिखित क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य देखभाल में आयुष उपचार:-
  - महामारी रोग तथा जीनस जानपदिक
  - जरा चिकित्सा संबंधी स्वास्थ्य देखभाल
  - उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग(एनटीडी)
  - मानसिक स्वास्थ्य तथा संज्ञानात्मक विकार
  - रोग क्षमता विकार
  - रक्ताभाव तथा पोषण संबंधी विकार
  - मातृ तथा बाल स्वास्थ्य
  - शरीर गठन, प्रकृति तथा विषाक्त-वाष्प के संबंध में अध्ययन।
  - गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में एकल या सहायक उपचार के रूप में आयुष पद्धति की भूमिका।
  - राष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम में एकल या सहायक उपचार के रूप में आयुष पद्धतियों की भूमिका।
  - रोग की रोकथाम/स्वास्थ्य संवर्धन
  - वेक्टर जनित रोग
- VIII. आयुष अनुसंधान अध्ययनों की प्रणालीगत समीक्षा और मेटा-विश्लेषण
- IX. साहित्यिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रलेखन तथा डेटा-आधार का विकास

- X. आयुष से संबंधित स्वास्थ्य आर्थिकी  
 XI. पशु चिकित्सा स्वास्थ्य में एएसयू और एच उपचार की भूमिका  
 XII. आयुषसेसंबंधितसॉफ्टवेयरऔरबायोइंस्ट्रूमेंटेशनकाविकास।

अनुसंधानऔरनवाचारकेलिएAYURGYAN योजनाकाध्यान) आयुष (मेंनिम्नलिखितपरहोगा:

1. एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान
2. प्रायोगिक अनुसंधान/साहित्यिक अनुसंधान
3. महामारी विज्ञान अनुसंधान
4. नैदानिक अनुसंधान
  - क) रोग उन्मुख दवा विकास
  - ख) उपकरण/प्रक्रिया/रोग जांच उपकरण/नैदानिक उपकरण/बायोमार्कर आदि का विकास
5. ट्रांसलेशनल रिसर्च
6. नीतिगत अनुसंधान
7. अनुसंधान अवसंरचना का विकास- अनुसंधान संस्थान, आयुर्वेद के लिए प्रयोगशालाएं और साथ ही एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान
  - क) शिक्षा-उद्योगसह-विकासभागीदारीकानिर्माण-व्यापारइन्क्यूबेटरकीस्थापना।
  - ख) आयुर्वेदकेमाध्यमसेप्रौद्योगिकी को प्रयोगशालासेवाणिज्यिकस्तरपरलेजाना।

केंद्रसरकारसंस्थाऔरअन्वेषककी विश्वसनीयता  
 केआधारपरराष्ट्रीयहितकेअन्यक्षेत्रोंमेंमहत्वपूर्णअनुसंधानप्रस्तावोंकासमर्थनकरनेपरविचारकरसकतीहै।

8. युवाछात्र आयुषअनुसंधानकार्यक्रम: -

- स्नातक पूर्व; और
- स्नातकोत्तर छात्रों के लिए

## 5. पात्रतामानदंड:

### 5.1 कौन पात्र हैं

- सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सा, वैज्ञानिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, विश्वविद्यालय/संस्थागत विभाग जिनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचे और तकनीकी विशेषज्ञता है।
- जीएमपीका अनुपालन करने वाले सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के एएसयू एंड एच दवा उद्योग जिनके पास अनुसंधान और विकास सुविधाएं हैं।
- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल के शोध का अनुभव रखने वाले प्रधान अन्वेषक (संस्थामें नियमित कर्मचारी)।
- जो अन्वेषक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)/परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) के सदस्य हैं, वे उन परियोजनाओं के निर्णय से खुद को दूर रखेंगे जिनमें वे किसी भी हैसियत से जुड़े हैं।
- युवा छात्र आयुष अनुसंधान कार्यक्रम:-
- 

स्नातक पूर्व :- तीसरे और अंतिम वर्ष का डिग्री कोर्स कर रहे छात्र  
 स्नातकोत्तर:- पीजी कोर्स के प्रथम, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्र

## 5.2 प्रधान अन्वेषक/संस्थानों के परिचय पत्रों का सत्यापन

5.2.1 आयुष मंत्रालय/संबंधित अनुसंधान परिषदों द्वारा मुख्य अन्वेषक/संस्थान आदि के परिचय पत्रों का सत्यापन पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि जिस अनुसंधान परियोजना के लिए आवेदन किया गया है उसके लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध है या नहीं।

### 5.2.2 परिचय पत्रों के सत्यापन से छूट प्राप्त संस्थान

निम्नलिखित संस्थानों को उनके परिचय पत्रों के सत्यापन से छूट दी गई है:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सांविधिक/स्वायत्त संस्थाएं
- सीएसआईआर और उसके संस्थान,
- आईसीएमआर और उसके संस्थान,
- डीएसटी, डीआरडीओ के प्रत्यायित संस्थान,
- केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत घोषित मानित विश्वविद्यालय।

## 5.3 अपेक्षित बुनियादी ढांचा

ईएमआर योजना के तहत परियोजना की मांग करने वाले संस्थानों/जांचकर्ताओं के पास अनुसंधान परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, नैदानिक अनुसंधान के मामले में, ओपीडी और आईपीडी (जहां भी आवश्यक हो) सहित नैदानिक सुविधाएं और शारीरिक, जैव-रासायनिक, रोग और रेडियोलॉजिकल जांच के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ ही साथ परियोजना के लिए प्रासंगिक आवश्यक उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। औषधियों के मानकीकरण के अध्ययन के मामले में, औषधियों की सुरक्षा और विषाक्तता के अध्ययन के लिए पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं और पशु गृह उपलब्ध होने चाहिए।

## 5.4 अन्वेषक:

5.4.1 एक प्रधान अन्वेषक (पीआई) होगा और दो से अधिक सह-अन्वेषक नहीं होंगे। लेकिन असाधारण मामलों में पीएससी/पीएससी के अनुमोदन से सह-अन्वेषकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रधान अन्वेषक को प्रस्तावित अध्ययन के क्षेत्र में पिछला अनुभव होना चाहिए। उन परियोजनाओं को महत्व दिया जाएगा जहां प्रकाशनों द्वारा प्रमाणित विषय पर प्रारंभिक कार्य पहले ही किया जा चुका है। 3 वर्ष की अवधि की परियोजना के मामले में प्रधान अन्वेषक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कम से कम 3 1/2 वर्ष से पहले ईएमआर योजना के तहत परियोजना के लिए आवेदन कर सकता है। विभिन्न अवधि की परियोजनाओं के लिए इसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है और

यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रधान अन्वेषक को सेवानिवृत्ति से पहले परियोजना को पूरा करना होगा।

प्रधान अन्वेषक या सह-अन्वेषकों में से एक को पर्याप्त शोध पृष्ठभूमि के साथ आयुष क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए। असाधारण मामलों में, जहां प्रधान अन्वेषक या सह-अन्वेषकों को आयुष क्षेत्र में काम करने का कोई अनुभव नहीं है, पीएससी यह तय करेगा कि अध्ययन के लिए आयुष विशेषज्ञ को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है या नहीं।

**5.4.2 सामान्यतया प्रधान अन्वेषक या सह-अन्वेषकों में ईएमआर योजना की दो चालू अनुसंधान परियोजनाएं हैं,**  
तो उनके और अनुसंधान प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि समिति यह पाती है कि पिछली परियोजना पूरी होने के कारण पर है तो नए अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

#### **5.4.3 प्रधान अन्वेषक में बदलाव**

- प्रधान अन्वेषकों को परियोजना में सह-अन्वेषक रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, एक अध्ययन में दो से अधिक सह-अन्वेषक नहीं होने चाहिए, लेकिन असाधारण मामलों में पीएससी की मंजूरी से सह-अन्वेषक की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- यदि किसी भी कारण से प्रधान अन्वेषक परियोजना को छोड़ देता है, तो एक पात्र सह-अन्वेषक को प्रधान अन्वेषक के रूप में रखने पर विचार किया जा सकता है व शर्तें कि प्रधान अन्वेषक की सिफारिश पर संस्था के प्रमुख और आयुष मंत्रालय द्वारा, जो भी मामला हो, इसके लिए मंजूरी दी जाती हो। इस तरह के अनुरोध को अग्रिम रूप से भेजा जाना चाहिए।
- यदि प्रधान अन्वेषक किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित हो रहा है, तो सह-अन्वेषक को नया प्रधान अन्वेषक बनाया जा सकता है, या परियोजना को दोनों संस्थानों के पारस्परिक समझौते और आयुष मंत्रालय की मंजूरी से नए संस्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है।
- यदि किसी कारणवश सह-अन्वेषक को बदलना आवश्यक हो, तो संस्था और आयुष मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।
- उपरोक्त अनुबंध में मेजबान संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्था/प्रधान अन्वेषक को किसी परिवर्तन के बारे में आयुष मंत्रालय को, जो भी मामला हो, सूचित करना होगा, और आयुष मंत्रालय के परामर्श से प्रधान अन्वेषक को छोड़ने से पहले परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक दम उठाना होगा।

#### 5.4.4 प्रधानअन्वेषक की आयु

3 साल की अवधि की परियोजनाओं के मामले में, कोई प्रधानअन्वेषकसेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कम से कम 3 1/2 वर्ष पहले ईएमआर योजना के तहत परियोजना के लिए आवेदन कर सकता है। विभिन्न अवधि की परियोजनाओं के लिए इसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रधानअन्वेषक सेवानिवृत्ति से पहले परियोजना को पूरा कर सके। प्रधानअन्वेषकके लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है लेकिन उसे आयुष या संबद्ध क्षेत्र में न्यूनतम 2 साल के काम का अनुभव होना चाहिए। पीएससी असाधारण रूप से अच्छी परियोजना के मामले में 2 साल के अनुभव की शर्त को माफ कर सकती है।

#### 6. अनुदान-सहायताकेलिएआवेदनकातरीका:

6.1 आयुष मंत्रालय, बहिर्वर्तीयोजना के तहत अनुदान-सहायता के लिए के व्यक्तियों, संस्थानों (सरकारी और निजी दोनों), विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों, जीएमपी का पालन करने वाले सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के एएसयू और एच दवाउद्योगों से और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में खुले विज्ञापन के माध्यम से भी वर्ष में दो बार (जनवरी के महीने में पहला और जुलाई के महीने में दूसरा) प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। विज्ञापन को आयुष मंत्रालय की वेबसाइट/अनुसंधान परिषदों की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा और आयुष और अनुसंधान परिषदों की शोध पत्रिकाओं और न्यूजलेटर में भी प्रकाशित किया जाएगा।

6.2 आवेदन हार्ड और सॉफ्ट दोनों वर्जन (पीडीएफ/वर्ड फाइलों में) में प्रस्तुत किया जाएगा। सॉफ्ट कॉपी को निम्नलिखित पते पर ईएमआर, आयुष मंत्रालय की निर्धारित ईमेल आईडी पर ईमेल किया जाना चाहिए:-

[emr\\_ayush@yahoo.com](mailto:emr_ayush@yahoo.com), [emr-ayush@gov.in](mailto:emr-ayush@gov.in)

6.3 योजनाविवरण और आवेदन प्रारूप निम्नलिखित स्रोतों पर उपलब्ध होगा:

- आयुष मंत्रालय की वेबसाइट: [www.ayush.gov.in](http://www.ayush.gov.in)
- अनुसंधान परिषदों की वेबसाइट:
  - सीसीआरएस: [www.ccras.nic.in](http://www.ccras.nic.in)
  - सीसीआरएस: [www.siddhacouncil.com](http://www.siddhacouncil.com), [www.siddharesearchcouncil.org](http://www.siddharesearchcouncil.org)
  - सीसीआरएच: [www.ccrhindia.org](http://www.ccrhindia.org)
  - सीसीआरयूएम: [www.ccrum.net](http://www.ccrum.net)
  - सीसीआरवाईएन: [www.ccryn.org](http://www.ccryn.org)

आयुष मंत्रालय की वेबसाइट आवेदनों की स्थिति (प्राप्त, विचाराधीन, अनुमोदित और अस्वीकृत) का विवरण भी देगी।

6.4. जो व्यक्ति/संस्थाएं अपनी प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अनुदान-सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वे आयुष मंत्रालय को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) में आवेदन कर सकते हैं।

आयुषमंत्रालय और संबंधित अनुसंधान परिषदों के महानिदेशक/निदेशक प्रतिष्ठित संस्थानों, जीएमपीका अनुपालन करने वाले सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के एएसयू और एचदवाउद्योगों, या प्रख्यात वैज्ञानिकों से विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। परिषदें अच्छी गुणवत्ता वाले प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए देश के शीर्ष संस्थानों (अकादमिक, अनुसंधान, विश्वविद्यालयों आदि)/जीएमपीका अनुपालन करने वाले सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के एएसयू एंड एचदवाउद्योगों की पहचान करेंगी। आयुषमंत्रालय और परिषदें भी प्रस्ताव तैयार करने में उनका मार्गदर्शन और मदद कर सकते हैं।

## 6.5 आवेदन प्राप्त करने के लिए समय रेखा

आवेदन चार तिमाहियों में प्राप्त किए जाएंगे और तदनुसार उन पर कार्यवाई की जाएगी:

तिमाही	पीएससी द्वारा कार्यवाई	पीएससी द्वारा कार्यवाई
I	मार्च, प्रथम सप्ताह	मार्च, अंतिम सप्ताह
II	जून, प्रथम सप्ताह	जून, अंतिम सप्ताह
III	सितम्बर, प्रथम सप्ताह	सितम्बर, अंतिम सप्ताह
IV	दिसम्बर, प्रथम सप्ताह	दिसम्बर, अंतिम सप्ताह

**6.6 संस्थानों/जीएमपी का अनुपालन करने वाले सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के एएसयू और एचदवाउद्योगों के मामले में,** प्रधान अन्वेषक को अपने नियंत्रण प्राधिकारियों/संस्थाओं के प्रमुख के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे जो गुणवत्तापूर्ण कार्य और अनुदान के उपयोग के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी नामित होंगे और किसी भी चूक की स्थिति में जवाब दे होंगे। व्यक्तियों के मामले में, प्रधान अन्वेषक को उन संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से आवेदन करना चाहिए जिनके साथ वे सहयोग करना चाहते हैं।

## 6.7 परियोजना का निरूपण:

**6.7.1 परियोजना प्रस्ताव को आवेदन के लिए दिए गए प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि संलग्नक-1 में दिया गया है।** आवेदन प्रारूप के भाग-क में परियोजना की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। ईएमआर योजना और भारत सरकार की अन्य अनुदान सहायता योजना के तहत संस्थानों द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं का विवरण दिया जाएगा। इसमें अध्ययन का शीर्षक, उद्देश्य, परियोजना की स्थापना की तारीख, पूरा होने की तारीख, प्रमुख अन्वेषक का नाम और पदनाम और अध्ययन के सह-अन्वेषक और अध्ययन के लिए प्राप्त अनुदान-सहायता शामिल होंगे। आवेदन प्रारूप के भाग-ख के लिए प्रमुख अन्वेषक, सह-अन्वेषक/सह-अन्वेषकों और शोध अध्ययन में प्रस्तावित सलाहकारों के बायो-डेटा अपेक्षित हैं। आवेदन का भाग-ग परियोजना के संक्षिप्त सारांश के बारे में है। आवेदन का भाग-घ अध्ययन के विस्तृत 'प्रोटोकॉल' से संबंधित है।

प्रमुख अन्वेषकों द्वारा 4 हार्ड कॉपी और दो सॉफ्ट कॉपी (पीडीएफ/वर्ड फाइल्स) आयुषमंत्रालय को उपलब्ध कराई जाएं।

### 6.7.2 पारंपरिकचिकित्सा

(डब्ल्यूएचओ2001)

कीपद्धतिऔरअनुसंधानतथामूल्यांकनकेलिएदिशानिर्देशोंकेअनुसारप्रोटोकॉलऔरअनुसंधानयोजनातैयारकी जाएगी।संलग्नक-2औरसंलग्नक-3में प्रोटोकॉलऔरअनुसंधानयोजनातैयारकरनेकेबारेमेंव्यापकदिशानिर्देशदिए गए हैं।आयुषमंत्रालयद्वाराप्रकाशितएएसयूदवाओंकेजीसीपीदिशानिर्देशोंऔरकेंद्रीयऔषधिमानकनियंत्रणसंगठन, स्वास्थ्यसेवामहानिदेशालय, स्वास्थ्यएवंपरिवारकल्याणमंत्रालय, भारतसरकारद्वाराप्रदानकिएगए'गुडक्लीनिकलप्रैक्टिसेजफॉरक्लीनिकलरिसर्चइंडिया' काभीउल्लेखकियाजासकताहै।

6.7.3 अनुसंधान प्रस्ताव के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों की संस्थागत आचार समिति (मानव परीक्षणों के मामले में) या संस्थागत पशु आचार समिति (पशु अध्ययन के लिए) से नैतिक मंजूरी अनिवार्य है।संस्थागत आचार समिति (आईईसी) या संस्थागत पशु आचार समिति (आईईसी) से मंजूरी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।आचार संबंधी दिशानिर्देशों और आचार समिति के गठन के लिए संस्था, आईसीएमआर वेबसाइट [www.icmr.nic.in](http://www.icmr.nic.in)पर उपलब्ध आईसीएमआर दिशानिर्देशों का उल्लेख कर सकती है(हाइपरलिंक 'About us' पर और फिर 'Ethical Guidelines for Biomedical research on Human Subjects' पर जाकर)

### 6.7.4 आवेदनपत्रकेसाथसंलग्नकिएजानेवालेअन्यदस्तावेज:-

ईएमआरअनुदानकेतहतअनुसंधानपरियोजनाओंकेलिएसहायताप्राप्तकरनेवालेसंस्थानों (5.2.2 केतहतउल्लिखितसंस्थानों को छोड़कर) कोआवेदनकेसाथनिम्नलिखितदस्तावेजप्रस्तुतकरनेहोंगे:

1. संस्थानों के संगम जापन, नियमऔरविनियमोंकीएकप्रतिजिसकेतहतइनकीस्थापना की गईहै।
2. संबंधितअधिनियमकेतहतउन्हेंजारीप्रमाणपत्रकीएकप्रतिजिसमेंयहपंजीकृतकियागयाहै (केंद्रयाराज्यसरकारकेकिसीराजपत्रित अधिकारीद्वाराविधिवतसत्यापित)
3. पिछलेवर्षकेलेखापरीक्षितविवरणकेसाथवार्षिकरिपोर्ट।
4. यदिसंस्थानोंकीवार्षिकरिपोर्टप्रकाशितनहींकीजातीहै, तोपिछलेवर्षकेदौरानकिए गए कार्यकलापों परसंक्षेपमें एकनोटसंलग्नकियाजासकताहै।
5. आईईसी/आईईसीसेआचार अनुमति प्रमाण-पत्र(5.2.2 केतहतउल्लिखितसंस्थानोंद्वाराभीप्रस्तुतकियाजाएगा)

## 7. परियोजना अनुमोदन

### 7.1 परियोजना की जांच और मूल्यांकन

- प्रस्तावप्राप्तहोनेकेबादमंत्रालयकेसंबंधितसलाहकारऔरसंबंधितअनुसंधानपरिषदोंकेमहानिदेशक/निदेशकद्वाराप्रस्तावकीसमीक्षाकीजाएगी।वेप्रस्तावकीसॉफ्टकॉपीप्राप्तकरनेकेबाद30 दिनोंकेभीतरआयुषमंत्रालयकोअपनीराय/टिप्पणियांप्रस्तुतकरेंगे।आयुषमंत्रालयकेसंबंधितसलाहकार द्वाराआवश्यकतापड़नेपरप्रख्यातविषयविशेषज्ञोंकीटिप्पणियों/रायकेलिएभीप्रस्तावभेजाजासकताहै।

- मंत्रालयकाईएमआरप्रकोष्ठप्रमुखअन्वेषक, मंत्रालयकेसंबंधितसलाहकार, अनुसंधानपरिषदोंऔरविषयविशेषज्ञोंकेसाथसंपर्क करने में मदद देगा।
- संस्थानों/प्रमुखअन्वेषककेपरिचय पत्रोंकासत्यापनसंबंधितपरिषदोंद्वाराकियाजाएगाजैसाकिनीचेदर्शायागयाहै:-

परिचय पत्रों केसत्यापनकेलिएअनुसंधानपरिषदकानाम	आयुषविषय
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद(सी.सी.आर.ए.एस.)</b> 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नईदिल्ली-110058 ई-मेल: <a href="mailto:ccras_dir1@nic.in">ccras_dir1@nic.in</a> फैक्स: 011-28520748, 011-28525959</li> </ul>	आयुर्वेद
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.वाई.एन.)</b> 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नईदिल्ली-110058 ई-मेल: <a href="mailto:ccryn@vsnl.net">ccryn@vsnl.net</a> फैक्स: 011-28520435, दूरभाष:28520430, 31,32</li> </ul>	योगऔरप्राकृतिकचिकित्सा
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.यू.एम.)</b> 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नईदिल्ली-110058 ई-मेल: <a href="mailto:ccrum@rediffmail.com">ccrum@rediffmail.com</a>, <a href="mailto:unanimedicine@gmail.com">unanimedicine@gmail.com</a> फैक्स:011-28522965</li> </ul>	यूनानी
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>केन्द्रीय सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.एस.)</b> (एससीआरआई) भवन, अरुंबक्कम, चेन्नई-600 106 <a href="mailto:dgccrs@hotmail.com">ई-मेल: dgccrs@hotmail.com</a></li> </ul>	सिद्ध
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.एच.)</b> 61-65, इंस्टीट्यूशनल एरिया, 'डी' ब्लॉक के सामने, जनकपुरी, नईदिल्ली-110058 ई-मेल:<a href="mailto:ccrh@del3.vsnl.net.in">ccrh@del3.vsnl.net.in</a> फैक्स: 011-28521060</li> </ul>	होम्योपैथी

संबंधित अनुसंधान परिषदों के संबंधित सलाहकार और महानिदेशक से प्राप्त टिप्पणियों के आधार परप्रस्ताव को,यदि उपयुक्त पाया जाता है,आगे मूल्यांकन के लिए पीएससी के समक्ष रखा जाएगा।प्रमुख अन्वेषक को समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा जाएगा।

### 7.1.1 परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी)

बहिर्वर्ती अनुसंधान (ईएमआर) के अनुसंधान प्रस्तावों की जांच पीएसी द्वारा की जाएगी जो आयुष मंत्रालय द्वारा गठित सभी आयुष पद्धतियों के लिए साझा होगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

1.	संयुक्त सचिव (आयुष) या आयुष मंत्रालय के समकक्ष अधिकारी	अध्यक्ष
2.	संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ जिन्होंने शोध कार्य प्रकाशित किया है (आयुष मंत्रालय के संबंधित सलाहकार द्वारा नामित किए जाएंगे)	सदस्य
3.	एम्स/आईसीएमआर जैसी संस्था से एक एलोपैथी विशेषज्ञ (सचिव (आयुष) द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
4.	सीएसआईआर/डीएसटी/डीबीटी से एक विज्ञान विशेषज्ञ (सचिव (आयुष) द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
5.	संबंधित परिषद के महानिदेशक/निदेशक या उनके नामिती (डीडी के पद से नीचे नहीं)	सदस्य
6.	निदेशक (आईएफडी) या उनके नामिती (अवर सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
7.	आयुष के सभी विषयों के सलाहकार/संयुक्त सलाहकार/उप-सलाहकार	सदस्य सदस्य
8.	वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले दो सहयोजित सदस्य (अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जाएगा)	
9.	ईएमआर योजना से संबंधित आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्यसचिव

### 7.1.2 परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के कार्य

- प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक को अपने प्रस्तावों के बारे में बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहेगी।
- संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों से टिप्पणियां आमंत्रित कर सकती है।
- आवेदकों से अपने प्रस्तावों को संशोधित करने के लिए कह सकती है (समिति की टिप्पणियों के अनुसार)
- प्रस्ताव को उसकी कमियों को दर्शाते हुए प्रमुख अन्वेषक/संस्था को इस निर्देश के साथ वापस लौटा सकती है कि उल्लिखित कमियों को पूरा करने के बाद प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत किया जाए।
- प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।
- प्रस्ताव को विचार और अनुमोदन के लिए पीएसी को अनुशंसित कर सकती है।
- चल रही परियोजना का बिना किसी वित्तीय सहायता के एक वर्ष के लिए विस्तार कर सकती है।

7.1.3 पीएसी, अनुसंधान प्रस्तावों के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं के गहन मूल्यांकन के बाद अनुशंसित प्रस्तावों को विचार, अनुमोदन और निधि की मंजूरी के लिए पीएससी को अग्रेषित करेगी।

7.1.4 अन्वेषकों द्वारा किए गए कार्यों की पीएससी द्वारा समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी। पीएससी बाद की किशतों को भी मंजूरी देगी।

## 7.2 परियोजना अनुमोदन समिति (पीएससी)

आयुषमंत्रालयकेसचिवकीअध्यक्षतामेंपरियोजनाअनुमोदनसमिति,पीएससीद्वाराअनुशंसितप्रस्तावोंपरस्वीकृति हेतु विचारकरेगी।पीएससीमेंशामिलहोंगे:-

1 सचिव (आयुष)	अध्यक्ष
2 पीएससीकेअध्यक्ष	सदस्य
3 वित्तीयसलाहकारयाउसकाप्रतिनिधि (उप सचिवस्तरसेनीचेनहीं)	सदस्य
4 आयुषकेसभीविषयोंकेसलाहकार/संयुक्तसलाहकार/उपसलाहकार	सदस्य
5 डीजी, आईसीएमआर/डीजीएस, सीएसआईआर/डीएसटी/डीबीटीकाप्रतिनिधिडीडीजी/वैज्ञानिक-एफस्तरसेनीचेनहीं	सदस्य
6 अनुसंधानपरिषदोंके सभीमहानिदेशक/निदेशक	सदस्य
7 वैज्ञानिकपृष्ठभूमिवालेदोसहयोजित सदस्य (सचिव (आयुष) द्वारा मनीत किए जाएंगे)	
8 ईएमआरयोजनासेसंबंधितआयुषमंत्रालयकेप्रतिनिधि	सदस्य-सचिव

7.2.1 पीएससीकेअध्यक्षअन्यविशेषज्ञ/विशेषज्ञोंकोपरियोजनाप्रस्तावोंपरअपनेविशेषज्ञविचारप्रस्तुत करनेकेलिएपीएससीकीबैठकमेंभागलेनेकेलिएआमंत्रितकरसकतेहैं।अनुसंधानपरियोजना/परियोजनाओंकाअनुमोदन करनेऔरधनराशिस्वीकृत/जारीकरनेकेसंबंधमेंपीएससीकानिर्णयअंतिमहोगा।

7.2.2 पीएससी और पीएससी में सहयोजित और विशेषज्ञ सदस्य को 3,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो आईएफडी की सहमति से परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा इसमें आगे और संशोधन किया जा सकता है।

7.2.3 समीक्षक/बाहरी विशेषज्ञ को 2,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर आईएफडी की सहमति से पीएससी द्वारा इसमें आगे और संशोधन किया जा सकता है।

## 8. परियोजनाकापरिणाम:

पूर्णहो चुके हरेक अध्ययनकीअंतिमतकनीकीऔरवित्तीयरिपोर्टोंकीपीएससीद्वाराजांचऔरसमीक्षाकीजाएगी, जोअपनी टिप्पणियों कोपीएससीके विचारार्थ भेजेगी।पीएससीअध्ययनोंकेपरिणामोंऔर आयुषमंत्रालयऔरप्रमुख अन्वेषक/अनुदानग्राहीसंस्थानोंद्वारासंयुक्तरूपसेदावाकिएगएपेटेंट केप्रकाशनपरभीअपनीटिप्पणीदेगी।इससंबंध में पीएससीकाफैसलाअंतिमऔरबाध्यकारीहोगा।परियोजनाकेविभिन्नपरिणामोंजैसेप्रतिष्ठितपत्रिकाओंमेंप्रकाशन,

उत्पादविकास, पेटेंट, विकसित की गई प्रौद्योगिकी, एसओपी, अंतरराष्ट्रीयमंचपरप्रस्तुतियांआदिकेमाध्यमसेडिलिवरेबल्सकाआकलनकियाजाएगा।

## 9. वित्तीय सहायता:

9.1 आयुष मंत्रालय 70.00 लाख रुपये से अधिक की राशि तक की अनुसंधान परियोजना के लिए कर्मचारियों, उपकरणों और आकस्मिकताओं (आवर्ती और अनाआवर्ती) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

9.2 यूजीछात्रकेलिए0.50 लाखरुपयेऔरपीजीछात्रकेलिए1.00 लाखरुपयेकीराशिकी एकमुश्तवित्तीयसहायता दी जाएगी।

9.3 अनुदान-सहायता के लिए आवेदन करने वाले संस्थान/जीएमपी का अनुपालन करने वाले सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के एएसयू और एच दवाउद्योग/व्यक्तिके पास विशेष अनुसंधान करने के लिए पर्याप्त स्टाफ, उपकरण और प्रयोगशाला/अन्य सुविधाएं होनी चाहिए। वित्तीय सहायता केवल न्यूनतम आवश्यक स्टाफ, उपकरण, किताबोंऔर आकस्मिक मदों के लिए दी जाएगी।

9.4 संस्थानको परियोजनाकेसफलसमापनकेबादपरियोजनाकीकुललागत (उपकरणोंकीलागतकोछोड़कर) के10% सेअधिकसंस्थागतसहायताप्रदानकीजासकतीहै।

9.5 निजीउद्योगकेमामलेमें,मंत्रालयद्वाराअनुदानकाहिस्साप्रस्तावितकुललागतके50%

सेअधिकनहींहोसकता।उद्योगका मैचिंग शेयर मंत्रालयद्वाराजारीनिधिकीप्रत्येककिस्तकेसाथउपलब्धकरायाजानाचाहिए।

## 10. व्यय:

परियोजनाकेकार्यकेलिएआवश्यकसभीआवर्तीऔरअनावर्तीवस्तुओंकोराज्यसरकार (राज्यसरकार, निजीऔरगैर-सरकारीसंस्थानोंकेलिए) याकेंद्रसरकार (केंद्रसरकारकेसंस्थानोंकेमामलेमें) कीप्रक्रियाओंऔरदिशा-निर्देशोंकेअनुसारखरीदाजानाचाहिए।अनुदानसे केवलयामुख्यरूपसेअर्जित स्थायीऔरअर्ध-स्थायीसंपत्तियोंकेलिए, संस्थानरजिस्टरकेरूपमेंजैसेकेशबुक, संपत्तिरजिस्टर, पेडबिल, बैंकस्टेटमेंटऔरबैंकखातेआदिमें एकपृथकऑडिटेडरिकॉर्डरखेंगे। "संपत्ति" शब्दकाअभिप्राय चलसंपत्तिसे है जहांमूल्य1000 रुपयेसेअधिकहै।अलग-अलगसंपत्तिरजिस्टरबनाएरखेजाएं।

### 10.1 अनावर्तीव्यय:

यदिआवश्यकहोतो,कंप्यूटरऔरसॉफ्टवेयरसहितआवश्यकवैज्ञानिकउपकरणोंकोअनावर्तीव्ययकेरूपमेंअनुमति दीजासकतीहै।हालांकिइसतरहकेखर्चकीमात्रावेतनकीकुललागतके10 फीसदसेज्यादानहींहोगी।परियोजनाकेसफलसमापनकेबादउपकरणमेजबानसंस्थाकीसंपत्तिबनजाएंगे।परियोजनाकेसफलसमापनकेबादआकस्मिकताओंसेखरीदीगईपुस्तकोंकोप्रधानअन्वेषकद्वाराखाजासकताहै।यहसुनिश्चितकियाजाएगाकिआवश्यकपरियोजनाकेउपकरण, पुस्तकें, सॉफ्टवेयरआदिकेतहतव्ययकाप्राक्कलनपहलेवर्षमेंहीमांगाजाए।

### 10.2 आवर्तीव्यय:

आवर्ती प्रकृति के व्यय जैसे दवाओं, रसायनों, कांच के बर्तनों, जांच की लागत, जानवरों, स्टेशनरी, डाक, मुद्रण, फोटोकॉपी आदि को आवर्ती आकस्मिकताओं के भाग के रूप में खरीदने की

अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इस तरह के खर्च की मात्रा कुल वेतन लागत के 20% से अधिक नहीं होगी।

### 10.3 व्यय (आवर्ती और अनावर्ती दोनों) के लिए दिशानिर्देश:

अनुदान का उपयोग प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

1. पुस्तकों का अर्जन, यदि ये पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं हैं।
2. रसायन/उपभोग्य वस्तुएं जो केवल अनुसंधान परियोजना के लिए अपेक्षित हैं।
3. विशेष जांच के लिए शुल्क जिसके लिए अनुदान ग्राही संस्थानों में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।
4. डेटा प्रविष्टि शुल्क।
5. अनुसंधान परियोजना के लिए प्रश्नावली, केसरिपोर्ट प्रपत्र, सहमति प्रपत्र आदिका मुद्रण।
6. कंप्यूटर उपयोगिताएं, डेटा के विश्लेषण के लिए शुल्क।
7. शोध रिपोर्टों की टाइपिंग और छपाई।
8. संचार शुल्क

इस अनुदान का उपयोग फर्नीचर की वस्तुओं, कार्यालय उपकरण जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, फोटोकॉपीयर आदिकी खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है।

### 10.4 यात्रा अनुदान का उपयोग:

टीए/डीए के तहत निर्धारित नियमों का उपयोग प्रमुख अन्वेषक, सह-अन्वेषक या अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा, जो योजना पर काम कर रहे हैं, निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु देश के भीतर यात्रा करने के लिए किया जा सकता है:

- देश के भीतर सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेना व शर्तें कि प्रमुख अन्वेषक स्वयं या परियोजना कर्मचारी एक शोध पत्र (अध्ययन के विषय से संबंधित) प्रस्तुत कर रहा हो, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृति पत्र की प्रति आयुष मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।
- फील्ड कार्य/अनुसंधान कार्य से जुड़ी यात्रा।
- परियोजना से संबंधित बैठकों के लिए आयुष मंत्रालय का दौरा।
- परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला में भाग लेना।

यात्रा अनुदान का उपयोग विदेश यात्रा के लिए नहीं किया जा सकता है।

यात्रा अनुदान के उपयोग में, टीए/डीए राज्य सरकार द्वारा (राज्य सरकार, निजी और गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों के लिए) या केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा (केंद्र सरकार के संगठनों के मामले में) निर्धारित पात्रता हेतु नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

### 11. कार्मिक/स्टाफ:

## 11.1 वैज्ञानिकस्टाफ

वैज्ञानिकस्टाफकेचयनकेलिएपूर्वापेक्षा औरउनकापारिश्रमिकनिम्नलिखिततालिकाकेअनुसारहोगा:

क्र. सं.	स्टाफ	योग्यताऔरअनुभव	आईसीएमआर की संशोधित दरों के अनुसार सहायता की राशि*
1.	अनुसंधान सहयोगी (आरए): (एकयादो)	संबंधितविषयमेंपीएचडी अथवा आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथी/योग/योगऔरप्राकृतिकचिकित्सा/संस्कृत/अरबी/फारसी/दर्शन मेंस्नातकोत्तर; अथवा संबंधितआयुषपद्धति/एलोपैथीमेंडिग्रीयोग्यता; एमफार्मा/एम.फार्मा/एमवीएससी,और कम से कम 3 वर्ष के अनुसंधान के अनुभव के साथ, अर्थात् आयुषमंत्रालय, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएसटीयासमकक्षसंगठनद्वारावित्तपोषितकिसीशोधपरियोजनाकेलिएकार्यकिया हो।	प्रथम वर्ष के लिए 47,000 रुपये प्रति माह + मकान किराया भत्ता। द्वितीय वर्ष के लिए 49,000 रुपये प्रति माह + मकान किराया भत्ता। तृतीय वर्ष के लिए 54,000 रुपये प्रति माह + मकान किराया भत्ता।
2.	वरिष्ठ अध्येता (एसआरएफ): (एकयादो)	संबंधितआयुषपद्धति/एलोपैथी/फार्मेसी/फार्माकोलॉजी/इंजीनियरिंग/जैवप्रौद्योगिकी/कृषि/पशुचिकित्साविज्ञान/जैवसांख्यिकी/फिजियोथेरेपी/व्यावसायिकचिकित्साआदिमेंडिग्रीयोग्यता।  उनलोगोंकोवरीयता दीजाएगीजिनकेपासउच्चयोग्यताहैयाजिनकेपासपिछलाशोधअनुभवहैअर्थात्आयुषमंत्रालय, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएसटीयासमकक्षसंगठनद्वारावित्तपोषितकिसीशोधपरियोजनाकेलिएकामकियाहो।	प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष - 35,000 रुपये प्रति माह + मकान किराया भत्ता
3.	कनिष्ठ अध्येता (जेआरएफ): (एकयादो)	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपेक्षित विषय मेंस्नातकडिग्री</li> <li>योग/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से योग में एक वर्ष के पूर्णकालिक नियमित पीजी डिप्लोमा/डिप्लोमा के साथ स्नातक डिग्री, एक वर्ष के अनुभव के साथ (योग चिकित्सक/योग प्रशिक्षक के लिए)</li> </ul>	प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष - 31,000 रुपये प्रति माह + मकान किराया भत्ता

\* संशोधितदरेंआईसीएमआरके कार्यालयआदेश16/139/2014-प्रशा.॥ दिनांक11-6-2019केअनुसारहैं।

नोट:1.अर्हताओंकोसंबंधितविनियामकपरिषद/विश्वविद्यालय/संकाय/बोर्डद्वारामान्यतादीजानीचाहिए।

2.

परियोजनाकीवास्तविकआवश्यकताकेअनुसारआरए/एसआरएफ/जेआरएफकीसंख्याकादावाकियाजानाचाहिए औरइससंबंधमेंपीएससीकानिर्णयअंतिमहै।

3. भारतीयचिकित्साअनुसंधानपरिषद (आईसीएमआर)

केसमकक्षरखनेकेलिएआयुषमंत्रालयद्वाराआरए/एसआरएफ/जेआरएफकेलिएसहायताराशिमेंसंशोधनकियाजा सकता है।

### 11.2 सहायकवैज्ञानिकस्टाफ

(सलाहकार):संबंधितअनुसंधानअध्ययनमेंविशेषज्ञतारखनेवालेसहायककर्मचारियों (सलाहकारों) कीन्यूनतमसंख्याका नियोजन औरप्रस्तावितअध्ययनमेंस्पष्टरूपसेचिन्हित कीगईउनकी भूमिकाऔर नियतमासिकपारिश्रमिकका प्रस्तावकियाजासकताहै, जिसेयदिअनुमोदितकियाजाताहै, तोइसकाभुगतानशीर्ष'वेतन' सेकियाजासकताहै।ऐसेमामलोंमेंआरए/एसआरएफ/जेआरएफकीकमसंख्याप्रस्तावितकीजाए।

11.3 गैर-वैज्ञानिकस्टाफ: अध्ययनसे संबंधित अपेक्षाकेआधारपर अन्यसहायककर्मचारियोंपरविचारकियाजाएगाऔर समेकित परिलब्धियां निर्धारित अवधि के अनुसार दी जाएगी। अनुमत्य जनशक्ति का निर्धारण प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

11.4प्रमुख अन्वेषक औरसह-अन्वेषककाशुल्क:निम्नलिखित तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार्य हो सकती है। 2 या इससे अधिक सह-अन्वेषकों की स्थिति में, यह राशि उनके बीच बांटी जाएगी। यह शुल्क परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर तथा पीएससी/पीएसी द्वारा अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के बाद जारी किया जाएगा।

	एक वर्ष की अवधि वाली परियोजना	दो वर्ष की अवधि वाली परियोजना	तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि वाली परियोजना
प्रधान अन्वेषक का शुल्क	रु. 30,000/-	रु. 60,000/-	रु. 90,000/-
सह-अन्वेषक का शुल्क	रु. 15,000/-	रु. 30,000/-	रु. 45,000/-

### 11.5 जन-शक्ति के नियोजन की सामान्य शर्तें:

- सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का नियोजन प्रारंभ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा और जैसा आवश्यक हो इस अवधि को विशेष आदेश द्वारा बढ़ाया जाएगा किंतु एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं।

- यह नियोजन, अध्ययन के दौरान अधिकतम अवधि के लिए अस्थायी और संविदात्मक स्वरूप का होगा।
- कार्मिक, नियोजन की अवधि पूर्ण होने पर अनुसंधान परिषद/आयुष मंत्रालय या गारंटी संस्था के अंतर्गत नियमित/स्थायी नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं करेगा।
- महंगाई भत्ता (डीए) और नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) ईएमआर परियोजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की किसी श्रेणी के लिए स्वीकार्य नहीं है।
- मकान किराया भत्ता कनिष्ठ अध्येता/वरिष्ठ अध्येता और अनुसंधान सहयोगी के सभी श्रेणियों को संस्था के नियम के अनुसार देय होगा जहां वे कार्य कर रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए, कनिष्ठ अध्येता/वरिष्ठ अध्येता और अनुसंधान सहयोगी के लिए अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) राशि मूल वेतन के रूप में ली जाएगी।
- छुट्टी, वेतन और अन्य सेवा लाभ: अनुसंधान सहयोगी, कनिष्ठ अध्येता, वरिष्ठ अध्येता आकस्मिक छुट्टी लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, प्रसूति छुट्टी महिला कर्मचारियों को भारत सरकार के नियम के अनुसार दी जाएगी।
- बोनस, छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति-हितलाभ अध्ययन के लिए नियोजित अनुसंधान सहयोगी/वरिष्ठ अध्येता/कनिष्ठ अध्येता/गैर-वैज्ञानिक कर्मचारी के लिए स्वीकार्य नहीं है।

## 12. निधियों को जारी करना:

अनुमोदित अनुदान वार्षिक किस्तों के रूप में संस्था के अध्यक्ष के नाम जारी किया जाएगा। पहली किस्त संस्वीकृति पत्र के साथ-साथ जारी की जाएगी, जिसमें उपकरण और पुस्तकों के क्रय के लिए संपूर्ण अनुदान और प्रथम वर्ष के लिए आवर्ती अनुदान भी सम्मिलित होगा। पिछली किस्त का 75% भाग उपयोग कर लेने पर अनुवर्ती किस्त का दावा किया जा सकता है बशर्ते वित्त मंत्रालय की विशेष अनुमति प्राप्त हो। दूसरी/तीसरी किस्त (किस्तें) अध्ययन की संतोषजनक प्रगति, निगरानी समिति की रिपोर्ट और निर्धारित प्रोफार्मा में निम्नलिखित दस्तावेजों की समय से प्राप्ति के अधीन जारी की जाएगी।

- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (संलग्नक 4 के अनुसार)
- कोई वित्तीय सहायता नहीं का प्रमाण पत्र (संलग्नक 8 के अनुसार)
- व्यय और उपयोगिता विवरणकाप्रमाण पत्र (संलग्नक 5,6,7) मूल रूप में जो प्रधान अन्वेषक, संस्था के अध्यक्ष और लेखा परीक्षक के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो; और
- प्रधान अन्वेषक/सह-अन्वेषक द्वारा प्रस्तुतीकरण के बाद निगरानी समिति या विशेषज्ञ(जों) द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन।
- अंतिम रिपोर्ट व पांडुलिपि की प्राप्ति व उसकी स्वीकृति होने तक अध्ययन की अनुमोदित परियोजना लागत का 20% रोककर रखा जाएगा।
- इस 20% को दो भागों में अर्थात् अंतिम रिपोर्ट की सहमति के बाद 10% तथा शेष 10% लेख के प्रकाशन के बाद और लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।

### 13. परियोजना का प्रारंभ:

#### 13.1. परियोजना प्रारंभ करने की तिथि:

संस्वीकृति पत्र में उस भावी तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए जब से परियोजना को आरंभ किया जाना है। यदि फिर भी संस्वीकृति पत्र में कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है तो परियोजना को उसी दिन से प्रचलित मान लिया जाएगा जिस दिन से अन्वेषक द्वारा अनुदान प्राप्त किया गया है। यह तारीख मेजबान संस्थान के द्वारा मंत्रालय को अनुदान की प्राप्ति से एक माह के अंदर सूचित की जानी चाहिए। परियोजना प्रारंभ होने की तारीख को प्रायोजित संस्था द्वारा विधिवत अग्रेषित प्रधान अन्वेषक के अनुरोध पर परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते ऐसा अनुरोध करते समय प्रधान अन्वेषक/संस्थान द्वारा कोई व्यय किया गया हो।

#### 14. लेखा का रखरखाव:

अनुदानग्राही संस्था को प्राप्त अनुदान और व्ययगत व्यय के लिए पृथक लेखा तैयार करना चाहिए। बैंक लेन-देन का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुतीकरण के समय सौंपा जाना चाहिए। इस लेखा की प्राधिकृत लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। इस आशय का लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा कि इस लेखे का लेखा परीक्षण किया जा चुका है और यह राशि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए खर्च की गई जिस उद्देश्य के लिए इसकी संस्वीकृति की गई थी। कोई अव्ययित शेष मंत्रालय को लौटा दिया जाना चाहिए। आगे का अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह की अवधि के अंदर जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया था प्रधान अन्वेषक, संस्था के अध्यक्ष और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, मूल रूप में विस्तृत व्यय विवरण (शीर्ष तथा मद-वार) के साथ लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। स्वैच्छिक संगठन/गैर-सरकारी संगठन संलग्नक 11 में दिए गए अन्य अतिरिक्त अनुदेशों का पालन करेंगे।

#### 14.1. लेखा परीक्षक:

मंत्रालय सामान्यतः सांविधिक लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षित रिपोर्ट को स्वीकार करता है। मंत्रालय चार्टर्ड लेखाकार द्वारा अनुमोदित या नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ पंजीकृत और/या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षित लेखाओं के विवरण को भी स्वीकार करता है। आवश्यक पंजीकरण संख्या रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

14.2 अनुसंधान परियोजना के लिए व्यय किसी भी स्थिति में संस्वीकृति राशि (शीर्षवार)से अधिक नहीं होना चाहिए।

14.3 किसी शीर्ष या उप-शीर्ष में अति-व्यय करने के लिए निधियों का कोई पुनर्विनियोजन करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अपवादात्मक मामलों में, एक शीर्ष/उप शीर्ष से अन्य शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोजन करने की अनुमति पीएसी के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है।

14.4 सभी व्यय अनुदानग्राही संस्था पर लागू होने वाले वित्तीय नियमों के मानदंड और दिशा निर्देश के अनुसार किए जाएंगे।

## 15. रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण:

अनुसंधान योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की प्रगति पर निम्नलिखित रिपोर्टें आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएंगी:

### 15.1. प्रगति रिपोर्ट

- प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए प्रगति रिपोर्ट **संलग्नक-4** में निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्टिंग वर्ष के पूर्ण होने के एक माह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।
- परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन यदि आवश्यक हो तो समकक्ष समीक्षक/विशेषज्ञ के परामर्श से आयुष मंत्रालय के सम्बद्ध सलाहकार द्वारा किया जाएगा।
- परियोजना अगले वित्तीय वर्ष में जारी नहीं रह सकती है जब तक कि मंत्रालय को समय से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है।
- यदि आवश्यक हुआ तो प्रधान अन्वेषक को पीएससी/पीएसी की बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- पीएससी/पीएसी के सुझाव और विचार तथा बीच में सुधार, यदि कोई है तो, प्रधान अन्वेषक को संप्रेषित किया जाएगा और यह प्रधान अन्वेषक/अनुदानग्राही संस्था के लिए बाध्यकर होगा।

प्रगति रिपोर्ट की दो हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी (सीडी में) सौंपी जाएगी।

### 15.2. वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र

31मार्च तक प्राप्त निधियों और किए गए व्यय को दर्शाते हुए लेखाओं के विवरण, प्राधिकृत लेखा परीक्षक, प्रधान अन्वेषक और संस्था के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, तारीख और मुहर के साथ, उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किए जाने होते हैं (**संलग्नक 5,6,7**)।

प्रधान अन्वेषक कोइस आशय का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि सम्बद्ध परियोजना पर व्यय के लिए किसी अन्य संस्था से अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

अव्ययित शेष राशि मंत्रालय को वापस कर दी जानी चाहिए। लेखा परीक्षित विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए ताकि द्वितीय वर्ष के बाद वार्षिक अनुदान की दूसरी किस्त जारी की जा सके।

15.3 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यदि वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होती है तो कम से कम 75%), प्राप्त होने पर ही, वित्त मंत्रालय की विशेष अनुमति के अधीन अनुदान की अनुवर्ती किस्त (किस्तों) को जारी करने पर विचार किया जाएगा।

15.4 यदि रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रधान अन्वेषक/संस्था को बिना किसी सूचना के अध्ययन को बंद करना होगा।

#### 15.5 अंतिम परियोजना समापन रिपोर्ट

अंतिम रिपोर्ट पूर्ण होने की तारीख से तीन माह के अंदर निर्धारित फार्मेट (संलग्नक-9) में यह रिपोर्ट प्रधान अन्वेषक/संस्था द्वारा भेजी जानी चाहिए। अंतिम परियोजना समापन रिपोर्ट की दो हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी (सीडी में) प्रस्तुत की जाएगी। परियोजना की कुल लागत राशि का 10% भाग पीएसी द्वारा विधिवत अनुमोदित परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद और शेष 10% रिपोर्ट के प्रकाशन होने के बाद जारी किया जाएगा। प्रधान अन्वेषक यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वोक्त अनुदान से संबंधित सभी वित्तीय दस्तावेज आयुष मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

#### 16.लेखाओंकाअंतिमनिपटान

लेखाओं का अंतिम निपटान निम्नलिखित कागजात प्राप्त होने पर ही किया जाएगा:

- (क) व्यय का अंतिम लेखा परीक्षित विवरण (संलग्नक-10)
- (ख) अंतिम उपयोगित प्रमाण पर (यूसी) (संलग्नक-6,7)
- (ग) इस परियोजना के लिए प्राप्त किए गए उपकरण की सूची उनकी लागत सहित और क्रय की तारीख और भावी उपयोग के लिए सुझाव।
- (घ) अंतिम परियोजना समापन की रिपोर्ट (क्रम सं. 15.5 देखें)

#### 17. निगरानी:

संबंधित परिषदों के स्थानीय संस्थान परियोजना की निगरानी करेंगे। विशेष मामले के रूप में यदि आवश्यक हो तो संस्थान के निदेशक/प्रभारी परियोजना की निगरानी करने के लिए विषय-विशेषज्ञ को सहयोजित करेंगे। प्रधान अन्वेषक/संस्थान निगरानी समिति के सभी सदस्यों को सूचना और रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे।

#### 18. पुरस्कार:

जिन प्रधान अन्वेषकों और सह-अन्वेषकों ने वित्तीय वर्ष के दौरान ईएमआर के अंतर्गत अपनी परियोजना पूरी कर ली है, उन्हें नीचे दी गई तालिका के अनुसार अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु आयुष पुरस्कार देने पर विचार किया जा सकता है:

पुरस्कार	प्रधान अन्वेषक	सह-अन्वेषक
ईएमआर के अंतर्गत अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु आयुष पुरस्कार	50,000/- रुपए	25,000/- रुपए

#### 18.1. परियोजना की समय-अवधि बढ़ाना

सामान्यतः अनुमोदित अवधि के बाद समय-अवधि बढ़ाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा सिवाय विशिष्ट कारणों के जैसे प्राप्त होने वाले रुचिकर/महत्वपूर्ण निर्देशन जिसे अपनाए जाने की आवश्यकता हो। तथापि, परियोजना की अवधिकिसी भी हालत में अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परियोजना जांच समिति द्वारा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो परियोजना अनुमोदन समिति की पूर्व अनुमति से एक और वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने के लिए प्रधान अन्वेषक **संलग्नक-12** में दिए गए फार्मेट में आवेदन कर सकता है।

## **19. परियोजना की समय पूर्व-समाप्ति :**

**19.1.** यदि प्रधान अन्वेषक अनुमोदित अवधि की समाप्ति से पूर्व परियोजना छोड़ना चाहता है तो आयुष मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। परियोजना की समाप्ति की तारीख से एक माह के अंदर किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सामान्यतः परियोजना की समय पूर्व समाप्ति की अनुमति ब्याज सहित संपूर्ण निधि को वापस किए बिना नहीं दी जाती है। हालांकि, पीएसी अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रत्येक मामले के आधार पर किए गए निर्णय के अनुसारनिधियों की वापसी या ब्याज की वापसी या दोनों के लिए छूट दे सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में, मामलों को अंतिम निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।

**19.2** अध्ययन की अवधि के दौरान, पीएसी तकनीकी/वित्तीय/नैतिक अनियमितताओं या परियोजना पीएससी के अनुमोदन के अनुसार नहीं है के आधार पर अध्ययन की समाप्ति के लिए पीएसी को सिफारिश कर सकती है। पीएसी का अंतिम निर्णय प्रधान अन्वेषक और ग्रांटी संस्थान को बाध्यकर होगा। ऐसे मामलों में, पीएसी के पूर्व अनुमोदन से आयुष मंत्रालय ग्रांटी संस्थान को दी गई निधियों को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस ले सकता है।

## **20. बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट:**

**20.1** पेटेंट आयुष मंत्रालय और प्रधान अन्वेषक द्वारा संयुक्त रूप से आवेदित किया जाएगा। आयुष मंत्रालय और प्रधान अन्वेषक यथानुप्रयोज्य उत्पाद का वाणिज्यीकरण करने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे।

**20.2** अनुसंधान परियोजना के लिए नियोजित अन्वेषक या कर्मचारी आयुष मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना उनके द्वारा किए गए आविष्कार/खोज के लिए पेटेंट प्राप्त नहीं करेगा।

**20.3** आयुष मंत्रालय आवेदन की प्राप्ति से 3 माह के अंदर पेटेंट के लिए ऐसे अनुमोदन की सूचना संप्रेषित करेगा।

## **21. प्रकाशन:**

प्रधान अन्वेषक परियोजना के पूर्ण होने के बाद मंत्रालय को अंतिम समेकित रिपोर्ट (**संलग्नक-9** के अनुसार) प्रस्तुत करेगा। परियोजना के पूर्ण होने का अनुमोदन मिलने के बाद इसके

परिणाम किसी प्रतिष्ठित समकक्ष व्यक्ति द्वारा समीक्षित (वरीय रूप से उच्च प्रभाव) पत्रिका में या पुस्तक के रूप में या परिषद आदि की पत्रिका में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएंगे।

इसपेपरकीपांडुलिपिकोरिकॉर्डकेलिएप्रधानअन्वेषकद्वारामंत्रालयकोभीभेजाजासकताहै।मंत्रालयद्वारा निधिउपलब्धकराएजानेकेबारेमेंउल्लेखप्रकाशनमेंअभि-स्वीकृतिकेरूपमेंकियाजानाचाहिए।

किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा और दांडिक कार्रवाई की जा सकती है। पीएसी द्वारा अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति दिए जाने से पूर्व अध्ययन का आंशिक या पूर्ण प्रकाशन करने की अनुमति नहीं है। प्रतिष्ठितपत्रिकाओं में अनुसंधान निष्कर्ष के प्रकाशन पर किए जाने वाले व्यय की पूर्ति योजना सेकी जाएगी।

## 22. हित-संघर्ष

अनुसंधान के संचालन और रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए, यह जरूरी है कि अन्वेषक का कोई ऐसा हित नहीं होना चाहिए जो उनके आंकड़ों की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करते समय वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा को कम करता हो। अन्वेषकों का उद्योग के साथ किसी भी तरह के अनुसंधान या अन्य संपर्क को निरूत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसे संपर्क से अनुसंधान आंकड़ों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग प्रभावित होगी या प्रभावित होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे वित्तीय हित-संघर्ष रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता पर जनसाधारण के विश्वास को कम करते हैं। सहायता के लिए परियोजना प्रस्तुत करने से पूर्व ईएमआर योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी अन्वेषकों को वित्तीय हित-संघर्ष, यदि कोई है, की घोषणा करनी चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना के संचालन के दौरान, वे भी इसी प्रकार की आचार-संहिता का पालन करेंगे। यदि आयुष मंत्रालय/अनुसंधान परिषद के नोटिस में अन्वेषकों की ओर से कोई अनैतिक आचार जिसमें अनुचित/अपूर्ण घोषणा भी शामिल है, आती है तो तत्काल परियोजना को समाप्त कर दिया जाएगा और साथ ही निधियों की वसूली के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## 23. चूकहोनेकीस्थितिमें:

1. यदि अनुदानग्राही संस्था योजना तथा उससे संबंधित संलग्नकों, इस करार के अनुबंधों, समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशोंऔर आदेशों के अनुसार अपने क्रियाकलापों-, कर्तव्यों, दायित्वोंकार्यों / को करने में असफल रहती है तो इसे चूक माना जाएगा और ऐसी परिस्थितियों में आयुष मंत्रालय उपलब्ध कराई गई संपूर्ण निधि वापस करने की मांग कर सकता है। आगे की किस्तों को जारी करने है। से रोक कर सकता

2. परियोजना के एकदम पूर्ण न होने या आंशिक रूप से पूर्ण होने या करार के अनुसार समय पर पूर्ण न होने पर संस्था के **नामित प्राधिकारी** उत्तरदायी होंगे। यदि अनुदानग्राही निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो 18% वार्षिक ब्याज की दर से दंड स्वरूप ब्याज वसूल किया जाएगा। हालांकि, अपवादात्मक मामलों में, जहां परियोजना की अवधि बढ़ाना समयोचित रूप से अनिवार्य हो जाता है, तो परियोजना पूर्ण होने की समयावधि को बिना किसी वित्तीय निहितार्थ के आगे बढ़ाया जा सकता है। परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद अवधि को अधिकतम दो वर्ष तक के

लिए बढ़ाया जा सकता है। परियोजना जांच समिति द्वारा अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो परियोजना अनुमोदन समिति की पूर्व अनुमति से अवधि को और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। समयावधि को केवल इस शर्त के अनुसार बढ़ाया जा सकता है कि यदि परियोजना दो वर्ष की विस्तारित अवधि के अंदर पूर्ण नहीं होती है तो प्रधान अन्वेषक और संस्था के नाम को काली सूची में डाला जा सकता है। सरकार इस परियोजना को, इसके अंतर्गत सृजित की गई आस्तियों के साथ किसी अन्य उपयुक्त संस्था को अंतरित कर देगी।

3. सहायता प्राप्त संस्था में कार्य करने वाले सभी अधिकारी, प्रधान अन्वेषक, सहअन्वेषक-, अध्यक्ष, चेयरपरसन, सचिव या कोई अन्य व्यक्ति सामान्य: रूप से तथा अलगअलग ब्याज के साथ - राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे और यथा उपरोक्त वर्णित भंग या चूक के लिए इन्हें सिविल और आपराधिक कानून दोनों के तहत अभियोजित किया जा सकता है।

4. अधिकार क्षेत्र : आयुष मंत्रालय और अनुदानग्राही संस्था के बीच होने वाले सभी विवादों और मतभेदों पर निर्णय माध्यस्थम करने के लिए भेजकर किया जाएगा जिसमें आयुष मंत्रालय के सचिव मध्यस्थ होंगे, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा।

5. प्रधानअन्वेषकसंस्था/द्वारास्कीमकेप्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर आगे की अनुदानों को रोक दिया जाएगा।

6. ऐसे विवादों/मतभेदों से जुड़े सभी मामले एकमात्र और अनन्य रूप से दिल्ली की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे।

#### योजना के लिए स्टाफ (अनुसंधान और नवाचार):-

क्र.सं.	पदकानाम	पात्रतामानदंड
1.	वरिष्ठ परामर्शदाता- 01	आयुषचिकित्सापद्धतिमेंस्नातकोत्तर, 10 वर्षकाअनुभव 75,000 रुपयेप्रतिमाह कापारिश्रमिकअथवा (परामर्शदाताकीनियुक्तिकेलिएआयुषमंत्रालयकेदिशा- निर्देशोंकेअनुसारपारिश्रमिक)।
2.	परामर्शदाता - 01	आयुषचिकित्सापद्धतिमेंस्नातकोत्तर, 05 वर्षकाअनुभव55,000 रुपये प्रतिमाह कापारिश्रमिकअथवा (परामर्शदाताकीनियुक्तिकेलिएआयुषमंत्रालयकेदिशा- निर्देशोंकेअनुसारपारिश्रमिक)।
3.	डाटाएंटीऑपरेटर (डीईओ)/ कार्यालयसहायक - 02	अधिमानत:सरकारीक्षेत्रमें03 वर्षकेअनुभवकेसाथस्नातकडिग्री 20,000 रुपये प्रतिमाह कापारिश्रमिक
नोट*-	5	प्रतिशतकीदरसेअथवा आयुषमंत्रालयकेदिशा- निर्देशोंकेअनुसारवार्षिकवेतनवृद्धिउपरोक्तसभीपदोंपरलागूहोगी।

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय  
आयुष में बहिर्वर्ती अनुसंधान परियोजनाओं में अनुदान सहायता के लिए आवेदन

भाग-क

1. अनुसंधानपरियोजनाकानामः

2. अनुसंधान परियोजना प्रस्तुत करने वाली संस्था का विस्तृत विवरण

नामः

डाक पताः

टेलीफोनः

फैक्सः

ई मेलः

3. अनुसंधान परियोजना प्रस्तुत करने वाले वैयक्तिक मामले में:

(सहयोगी संस्था का नामउपरोक्त क्र.सं.2 में उद्धृत किया जा सकता है)

व्यक्ति का नामः

डाक पताः

टेलीफोनः

फैक्सः

ई मेलः

4. नामऔरपदनाम

प्रधान अन्वेषकः

सह-अन्वेषक(कों):

परामर्शदाता(ओं):

5. अनुसंधान परियोजना की अवधि:

i) पूर्व-परीक्षण की तैयारी के लिए अपेक्षित अवधि।

ii) डाटा-संग्रहित करने के लिए अपेक्षित अवधि।

iii) डाटा का विश्लेषण करने के लिए अपेक्षित अवधि।

6. मांगी जाने वाली अनुदान सहायता राशि:

	कुल	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	शेष राशि (10%)	रोकी गई राशि (10%)
वेतन						
उपकरण						
पुस्तकें						
अन्य अनावर्ती व्यय						
आवर्ती व्यय						
यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता						
सांस्थानिक सहायता						

प्रधान अन्वेषक और सह- अन्वेषक का शुल्क						
विविध व्यय						
कुल						

## 7. घोषणा और अनुप्रमाणन

**प्रमाणित किया जाता है कि:**

मैंने/हमने बहिर्वर्ती योजना और इसके संलग्नक में उल्लिखित प्रावधानों,  
तथा आयुषमंत्रालय द्वारा निरूपित दिशा-  
निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं/हम इसमें दिए गए सभी प्रावधानों का पालन करूंगा/करेंगे।

निबंधन और शर्तों,

**नाम और हस्ताक्षर:**

- क) प्रधान अन्वेषक
- ख) सह-अन्वेषक को (
- ग) विभागाध्यक्ष

**संस्था अध्यक्ष के हस्ताक्षर**

**स्थान:**

**तारीख :**

इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची: (वेबसाइट पर अपलोड की गई योजना के पैरा 6.7.4 के अनुसार)

अन्वेषकों (प्रधान अन्वेषक, सह अन्वेशक (कों), परामर्शदाताओं) के जीवनवृत्त के लिए फार्मेट

1. नाम (डॉ./श्री/सुश्री.): \_\_\_\_\_  
(उप नाम) (प्रथम नाम)
2. पदनाम:
3. पूर्ण डाक-पता और पिन:  
टेलीफोननं., फैक्स, ईमेल
4. जन्म तिथि:
5. शैक्षणिक योग्यता: प्राप्त डिग्रियां (स्नातक से आरंभ करते हुए)  
डिग्री संस्था विषय वर्ष
6. अनुसंधान अनुभव  
अवधि.....) से.....तक (संस्था किए गए कार्य का विवरण
7. अन्य अनुभव (अनुसंधान के अलावा)  
अवधि.....) से.....तक (संस्था किए गए कार्य का विवरण
8. अनुसंधान विशेषज्ञता  
(रुचि का मुख्य वैज्ञानिक क्षेत्र)
9. प्राप्त वित्तीय सहायता  
क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से  
विगत  
वर्तमान  
लंबित  
ख) आयुष मंत्रालय से  
विगत  
वर्तमान  
लंबित  
ग) अन्य संस्थाओं से  
विगत  
वर्तमान  
लंबित
10. आयुष मंत्रालय की ईएमआर योजना के तहत हाथ में ली गई अनुसंधान परियोजना

11. भारत सरकार की किसी अन्य अनुदान सहायता योजना के तहत हाथ में ली गई अनुसंधान परियोजना
12. अन्य अनुसंधान परियोजनाएं, यदि कोई हैं:
13. वर्तमान प्रकाशन (पिछले 5 वर्षों का, शीर्षक-नाम और संदर्भ सहित), वे सभी पेपर्स भी जो प्रेस में हैं।
14. अन्य सूचना, यदि कोई है:

हस्ताक्षर

दिनांक

**भाग- ग**  
**अनुसंधान प्रस्ताव का सारांश**

[पर्याप्त सूचना संक्षेप में किंतु स्वतः पूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि मंत्रालय द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जा सके।]

1. अनुसंधान परियोजना का नाम:
2. उद्देश्य:
3. कार्य प्रणाली:
4. प्रत्याशित परिणाम:
5. प्रस्तावित अनुसंधान (150 शब्दों तक) का सारांश, जिसमें अनुसंधान के संपूर्ण उद्देश्यों का महत्व, और आवेदन फार्म में निर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्र के संदर्भ में उनके महत्व के बारे में बताया गया हो:
6. आयुष पद्धति के विशेष संदर्भ में अध्ययन की प्रासंगिकता एवं लाभप्रदता:
7. आईपीआर मूल्य:
8. रूपांतरणीय मूल्य:
9. परियोजना के परिणाम की उपयोगिता :

## भाग-घ

### विस्तृत अनुसंधान प्रोटोकॉल

विषाक्तता पर कार्य करने वाले अन्वेषकों सहित नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्ययन की रूपरेखा का यहां उल्लेख करें जिसमें, अध्ययन किए जाने वाले मामले/नमूनों की कुल संख्या, रोगियों के चयन की विधि विशेष तौर पर मानव रोगियों में प्रयोग के संबंध में, प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और अन्य सामग्री, सांख्यिकीय पद्धति आदि सहित परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकों के बारे में बताया जाए। परीक्षण औषधों को तैयार करने के लिए मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं(एसओपी) और अवयवों के चयनकी विधि का भी विस्तार से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रस्तावित अन्वेषण के लिए संस्था में उपकरण आदि के रूप में उपलब्ध सुविधाओं का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(अन्वेषकों को चाहिए के वे आयुष मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एएसयू औषधियों हेतु जीसीपी दिशानिर्देशों, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए भारत में नैदानिक अनुसंधान हेतु बेहतर नैदानिक प्रैक्टिस (जीसीपी) का भी अध्ययन करें।)

**विस्तृत अनुसंधान प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए संलग्नक-2 और 3 देखें।**

**भाग-ड.**

<b>एजेंसी के ब्यौरे</b>	
पंजीकरण का स्वरूप	
एजेंसी का नाम	
अधिनयम/पंजीकरण संख्या	
पंजीकरण की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी	
राज्य जहां पंजीकरण किया गया है	
टीआईएन/टीएएन संख्या	
पता पंक्ति 1	
पता पंक्ति 2	
पता पंक्ति 3	
नगर	
राज्य	
जिला	
पिन कोड	
संविदा देनेवाला व्यक्ति	
दूरभाष	
ई-मेल	
यूनिक एजेंसी कोड	
<p>यूनिक एजेंसी कोड, एजेंसी के लघु कोड के समान है, यह केवल एल्फान्यूमेरिक वेल्यू को ही स्वीकार करेगा, इसमें कोई विशेष अक्षर या स्पेस नहीं होता है (अर्थात् यदि एजेंसी का नाम एबीसी लिमिटेड है तो यूनिक कोड एबीसीएलटीडी होगा)</p>	
<b>योजना/बैंक संबंधी ब्यौरे</b>	
योजना	
बैंक	
पता	
शाखा	
खाता संख्या	
बैंक के अनुसार एजेंसी का नाम	

निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए मांग प्रपत्र  
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

अनुदानग्राही संस्थान/अन्य संगठन का नाम	
बैंक का नाम	
बैंक का पता	
खाता संख्या	
बैंक का आरटीजीएस कोड(तत्काल सकल निपटान कोड)	(आईएफएससी कोड)
एमआईसीआर कोड नं.	
अंतरित की जाने वाली राशि	
	( )
	अवर सचिव, भारत सरकार

(केवल वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय) के उपयोग के लिए)

डीडीओ का नाम	
बिल संख्या	
डी.वी. संख्या	
चैक नम्बर और चैक की तारीख	
चैक की राशि	

(वरिष्ठ लेखा अधिकारी)  
वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)

नैदानिक परीक्षण प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश

**सामान्य सूचना**

1. प्रोटोकॉल का शीर्षक, प्रोटोकॉल की पहचान संख्या और तारीख/कोई भी संशोधन किए जाने पर संशोधन की संख्या और तारीख भी डाली जानी चाहिए।
2. उस संस्थान का नाम और पूरा पता जहां यह अध्ययन किया जाएगा।
3. उस संस्थान के अध्यक्ष का नाम और पूरा पता, जहां यह अध्ययन किया जाएगा।
4. प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उपाधि।
5. परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार अन्वेषक (ओं) का नाम और उपाधि एवं परीक्षण स्थल (ओं) का पूरा पता और टेलीफोन नम्बर।
6. अर्हताप्राप्त कार्य चिकित्सक (या डेंटिस्ट, यदि लागू हो) जो चिकित्सा संबंधी (या डेंटल) निर्णयों (यदि अन्वेषक से भिन्न हैं) से संबंधित सभी परीक्षण स्थलों के लिए जिम्मेदार हैं, का नाम, उपाधि, पूरा पता और टेलीफोन नम्बर।
7. क्लीनिकल प्रयोगशाला(ओं) और अन्य चिकित्सा और/या तकनीकी विभाग (ओं)/या अन्य संस्थाएं, जो परीक्षण कार्यों में लगी हैं, का नाम और पूरा पता।
8. संस्थागत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव का नाम

**पृष्ठभूमिसंबंधी सूचना**

1. विषय से संबंधित पूर्व जानकारी
2. अनुसंधान योग्य उत्पादों का नाम और विवरण
3. नॉन-क्लीनिकल अध्ययन से प्राप्त जांच परिणामों का सार संभवतः क्लीनिकल महत्व होता है और ऐसे क्लीनिकल परीक्षण जो इस परीक्षण के लिए संगत होते हैं।
4. साहित्य और डाटा के संदर्भ जो परीक्षण के लिए संगत होते हैं और जो इस परीक्षण के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं।
5. उस जनसंख्या का विवरण जिसका अध्ययन किया जाना है,
6. मानव संबंधी विषयों से संबंधित ज्ञात और संभावित जोखिम और लाभ, यदि कोई हो, का सारांश।
7. औषधि प्रयोग के पथ (रूट), खुराक पथ्यापथ्य नियम तथा उपचार अवधि का विवरण तथा उसका औचित्य।
8. यह विवरण कि यह परीक्षण प्रोटोकॉल, जीसीपी और लागू विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

**परीक्षण के उद्देश्य और प्रयोजन**

परीक्षण के उद्देश्यों और प्रयोजनों के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं।

**परीक्षण डिजाइन (अभिकल्प):**

1. परीक्षण की वैज्ञानिक प्रामाणिकता और परीक्षण से आंकड़ों की विश्वसनीयता पर्याप्त रूप से परीक्षण डिजाइन पर निर्भर करती है। परीक्षण डिजाइन के विवरण में परीक्षण के दौरान मापे जाने वाले प्राथमिक अंतर्बिंदु और गौण अंतर्बिंदु, यदि कोई हैं, का विशिष्ट विवरण शामिल करना चाहिए।
2. निष्पादित किए जाने वाले परीक्षण के टाइप/डिजाइन का विवरण (उदाहरणार्थ दूध-अंध, प्लेस्बो नियंत्रित, समानांतर डिजाइन) और परीक्षण डिजाइन, कार्य प्रणाली अवस्था का व्यवस्थित आरेख।
3. निम्नलिखित सहित पक्षपात को न्यूनतम करने/उससे बचने के लिए किए गए उपायों के विवरण:
  - (क) रैंडमाइजेशन
  - (ख) ब्लाइंडिंग
4. परीक्षण उपचार(रों) और अन्वेषणीय उत्पाद(दों) की खुराक और खुराक पथ्यापथ्य का विवरण। इसमें खुराक आकार के विवरण और अन्वेषणीय उत्पाद(दों) की पैकेजिंग और लेबलिंग करना भी शामिल है।
5. अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई है, सहित किसी विषय में भागीदारी की अनुमानित अवधि और अनुक्रम विवरण तथा सभी परीक्षण अवधियों की कार्य अवधि,
6. वैयक्तिक विषयों, परीक्षण के भाग और संपूर्ण परीक्षण के लिए “नियमों को रोकने” या “मानदंड को लागू नहीं करने” का विवरण।
7. प्लेस्बो(बों) और कम्परेटर(रों) यदि कोई है, सहित अनुसंधानीय उत्पाद(दों) के लिए जवाबदेही कार्यप्रणाली।
8. कोड तोड़ने के लिए परीक्षण उपचार रैंडमाइजेशन कोड और कार्यप्रणाली।
9. मामला रिपोर्ट फॉर्म (उदाहरणार्थ आंकड़ों का कोई पूर्व लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) पर प्रत्यक्ष रूप से रिकॉर्ड किए जाने वाले किसी आंकड़े की पहचान करना और उस पर विचार स्रोत आंकड़ों के रूप में करना।

**वस्तु का चयन करना और उसे छोड़ना**

1. वस्तु सम्मिलित करने का मानदंड
2. वस्तु शामिल नहीं करने का मानदंड
3. किसी वस्तु को छोड़ने का मानदंड (उदाहरणार्थ: अनुसंधानीय उत्पाद उपचार/परीक्षण उपचार समाप्त करना) और कार्य प्रणाली में विनिर्दिष्ट किया जाए:-
  - (क) परीक्षण/अनुसंधानीय उत्पाद उपचार से वस्तु को कब और कैसे हटाया जाता है।
  - (ख) किसी वस्तु को हटाने के लिए संग्रहित किए जाने वाले आंकड़ों के प्रकार और समय-निर्धारण
  - (ग) किसी वस्तु को क्यों और किस प्रकार बदला जाना है।
  - (घ) अनुसंधानीय उत्पाद उपचार/परीक्षण उपचार से हटाई गई वस्तुओं के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

### वस्तुउपचार:

1. सभी उत्पाद(दों) के नाम
2. स्वीकृत औषधि प्रयोग(गों)/उपचार(रों) औषधि-प्रयोग के बचाव सहित और परीक्षण के पूर्व और/उसके दौरान अनुमति नहीं
3. किसी उपचारकाअनुपालनकरनेकेलिएमॉनीटरिंगकीप्रक्रिया।

### प्रभावोत्पादकताकानिर्धारण

1. प्रभावोत्पादकता पैरामीटर के विनिर्देश
2. प्रभावोत्पादकता पैरामीटर का निर्धारण, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने के लिए पद्धति और समय- निर्धारण

### परीक्षण-वस्तु / अनुसंधानसहभागीकीसुरक्षाकानिर्धारणकरना

1. सुरक्षा-पैरामीटर के विनिर्देश।
2. सुरक्षा-पैरामीटर का निर्धारण, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने के लिए पद्धति और समय-निर्धारण।
3. विपरीत घटना और अनुवर्ती बीमारियों की रिपोर्ट करने रिकॉर्डिंग करने तथा उसकी सूचना देने की प्रक्रिया।
4. प्रतिकूल घटना के बाद अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वस्तुओं का प्रकार और अवधि

### सांख्यिकी

1. प्रयुक्त की जाने वाली सांख्यिकीय पद्धतियों का विवरण जिसमें किसी योजनाकृत अंतरिम विश्लेषण (णों) का समय-निर्धारण भी शामिल है।
2. उन वस्तुओं की संख्या जिन्हें शामिल किए जाने का विचार है। बहु-केंद्र-परीक्षणों में, प्रत्येक परीक्षण स्थल के लिए योजना में नामांकित वस्तुओं की संख्या को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। किसी विशेष नमूना-आकार का चयन करने के कारण जिसमें परीक्षण की शक्ति और नैदानिक औचित्य पर पड़ने वाले प्रभाव (या गणना) भी शामिल हैं।
3. महत्व का स्तर जो इस्तेमाल किया जाना है।
4. परीक्षण की समाप्ति के लिए मानदंड।
5. गुम हुए, अप्रयुक्त और भ्रामक आंकड़ों के लिए लेखाकरण की कार्य प्रणाली ।
6. मूल सांख्यिकीय योजना (मूल सांख्यिकीय योजना में किसी तरह का विचलन होने पर इसे वर्णित किया जाए और प्रोटोकॉल में और/या अंतिम रिपोर्ट में, यथा उपयुक्त औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिए) में किसी तरह का विचलन होने पर उसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया।
7. विश्लेषणों में शामिल की जाने वाली वस्तुओं का चयन (उदाहरणार्थ सभी यादृच्छिक वस्तुएं, सभी खुराक वाली वस्तुएं, सभी योग्य वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं)।

### स्रोत आंकड़ों/दस्तावेजों के लिए सीधे पहुंच

प्रोटोकॉल में यह विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि अन्वेषक (कों)/संस्था(ओं) को स्रोत आंकड़ों/दस्तावेजों के लिए सीधे पहुंच उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान परिषद्/आयुष मंत्रालय द्वारा परीक्षण

संबंधित मॉनीटरिंग, लेखापरीक्षा, सांस्थानिक समीक्षा बोर्ड/स्वतंत्र नीति शास्त्र समिति और नियामक निरीक्षण(णों) की अनुमति दी जाएगी।

संस्थाओं/प्रधान अन्वेषकों द्वारा अपनाई जाने वाली गोपनीयता नीति में उन व्यक्तियों के नामों का भी उल्लेख किया जाए जो अनुसंधान अध्ययन से संबंधित स्रोत आंकड़ों और दस्तावेजों को प्राप्त कर सकेंगे।

### **गुणता नियंत्रण और गुणता आश्वासन**

अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि औषधकोशीय और गुणता मानक के अनुरूप होगी। नीति परीक्षण के संबंध में ध्यान में रखी जाने वाली नीति का विवरण।

#### **नीति:**

परीक्षण के संबंध में ध्यान में रखी जाने वाली नीति का विवरण

### **आंकड़े संभालना (हैंडलिंग) और रिकॉर्ड रखना**

आंकड़ों, स्रोत दस्तावेजों और रिकॉर्ड को संभालने के लिए अपनाई जाने वाली नीति का उल्लेख किया जाना।

यदि संस्थाओं के पास अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है, तो संस्था गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए डाटा हैंडलिंग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करेगी जो आंकड़ों के संग्रहण, प्रतिधारण और जानकारी आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताएगी। आंकड़े संभालने और रिकॉर्ड रखने की अपेक्षाओं में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

गलतियों को दूर करने के लिए स्रोत दस्तावेज, मामला रिपोर्ट फार्म, मूल्यांकन-फार्म आदि को किस प्रकार पूरा भरा जाएगा, उसकी जांच की जाएगी ?

कितने समय के लिए आंकड़े रखे जाएंगे ?

आंकड़ों की जानकारी कौन-कौन साझा कर सकता है ?

आंकड़े रखने, देखने का अधिकार किसके पास है ?

आंकड़ों को कहां और कैसे संग्रहित किया जाता है ?

अनुसंधान रिकॉर्डों का संग्रह कहां और कैसे किया जाता है ?

कौन सी कंप्यूटर अभ्यास पद्धतियां अपनाई जाएंगी, अर्थात् आंकड़ों की प्रविष्टि कौन करेगा, आंकड़े देखने का अधिकार किसके पास होगा तथा आंकड़ों की हानि होने से कैसे रोका जा सकेगा?

### **वित्तपोषण और बीमा**

वित्तपोषण और बीमा को ब्यौरेवार विस्तार से दिया जाए।

### जड़ी-बूटी औषधि (हर्बल मेडिसिन) की विषाक्तता जांच के लिए दिशानिर्देश

ये दिशा निर्देश, जड़ी-बूटी औषधियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के संबंध में गैर-नैदानिक विष-वैज्ञानिक अध्ययन की मानक पद्धतियों का उल्लेख करने के लिए निर्धारित किए गए मानव अध्ययन के लिए प्रत्येक जड़ी-बूटी औषधि का अनिवार्य रूप से सभी परीक्षण करना अपेक्षित नहीं है।

#### अल्पावधि विषाक्तता परीक्षण

##### **पशु प्रजाति**

कुछ नियामक एजेंसियों को कम से कम जो प्रजातियों पर परीक्षण करना आवश्यक होता है, उनमें से एक का चयन कृतंक से तथा दूसरा अकृतंक से किया जाता है।

##### **लिंग**

इनमें से किसी भी एक प्रजाति में कम से कम एक नर और एक मादा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

##### **पशुओं की संख्या**

कृतंक प्राणी की स्थिति में, प्रत्येक समूह में प्रति लिंग में कम से कम पांच पशु होने चाहिए। अकृतंक प्राणियों की स्थिति में, प्रत्येक समूह में प्रति लिंग में कम से कम दो पशु होने चाहिए।

##### **औषधि देने का मार्ग**

सामान्यतः मुख से औषधि देना पर्याप्त है, चूंकि नैदानिक स्तर पर मुख से औषधि देने की यह सामान्य प्रक्रिया है तथापि कुछ नियामक एजेंसियां मुख के अतिरिक्त आंत्रेतर मार्ग से औषधि देने का सुझाव देती हैं।

जिस मामले में मानव को आंत्रेतर मार्ग द्वारा जड़ी-बूटी से तैयार की गई औषधि देने का प्रस्ताव किया है तो वहां पर जंतु परीक्षण के लिए केवल इसी मार्ग का उपयोग करना पर्याप्त है।

##### **खुराककीमात्राकास्तर**

लगभग घातक खुराक निर्धारण करने के लिए कृतंक प्राणि में खुराक की मात्रा के अनेक स्तरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अकृतंक प्राणियों में, अति विषाक्त चिह्न का अवलोकन करने के लिए पर्याप्त खुराक के पर्याप्त स्तर का प्रयोग किया जाना चाहिए।

##### **औषधिदेनेकीआवृत्ति**

24 घंटों की अवधि के दौरान परीक्षण पदार्थ के रूप में एक या इससे अधिक खुराक दी जानी चाहिए।

##### **प्रेक्षण:**

विषाक्त चिह्न और इसकी गंभीरता, चिह्न शुरू होने, इसके बढ़ने तथा इसके फिर से कम होने की स्थिति का खुराक और समय के संदर्भ में अवलोकन करके रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सामान्यतः जंतुओं को कम से कम सात से चौदह दिनों के लिए देखा जाना चाहिए।

प्रेक्षणअवधिकेदौरानमरनेवालेजंतुओं,साथहीप्रेक्षणअवधिकेअंततकजीवितबचनेवालेकृतकोंकीशवपरीक्षाकीजानीचाहिए।

यदि आवश्यक हो, तो शव परीक्षा में किसी अंग या उत्तक पर असूक्ष्मदर्शी परिवर्तन दर्शाते हुए उत्तकविकृति वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए।

### दीर्घावधिविषाक्ततापरीक्षणपशुप्रजाति

अनेक नियामक एजेंसियों को कम से कम हो प्रजातियों एक कृतक और दूसरा अकृतक का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।

#### **लिंग**

सामान्यतः नर और मादा जंतुओं की समान संख्या पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

#### **पशुओंकीसंख्या**

कृतकों की स्थिति में, प्रत्येक समूह में कम से कम 10 नर और 10 मादा होनी चाहिए। अकृतकों के मामले में, प्रत्येक समूह में कम से कम तीन नर और तीन मादा होनी चाहिए। जब अंतरिम परीक्षण किया जा रहा हो तो जंतुओं की संख्या में तदनुसार वृद्धि की जानी चाहिए।

#### **औषधिदेनेकामार्ग**

सामान्यतः औषधि देने का संभावित मार्ग प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

#### **औषधि - अवधि**

जंतुओं को औषधि के रूप में परीक्षण पदार्थ देने की अवधि सामान्यतः नैदानिक उपयोग की संभावित अवधि पर निर्भर करेगी। विषाक्तता अध्ययन के लिए औषधि प्रत्येक देश और उसमें लागू होने वाले विनियमों की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

निम्नलिखित तालिका में सामान्यतः औषधि देने की विभिन्न अवधियों की प्रयुक्त श्रेणी को प्रदर्शित किया गया है:

नैदानिकप्रयोगकीसंभावितअवधि	विषाक्तताअध्ययनकेलिएऔषधिअवधि
एक सप्ताह से कम के लिए औषधि की एक खुराक या बार-बार औषधि देना	दोसप्ताहसेएकमाहतक
एक सप्ताह से चार सप्ताह के बीच बार-बार औषधि देना	4 सप्ताहसे 3 माहतक
एक से छह माह के बीच बार-बार औषधि देना	3 से 6 माह तक

छह माह से अधिक के लिए दीर्घावधि में बार-बार औषधि देना	9 से 12 माह तक
---	----------------

सामान्यतः परीक्षण पदार्थ सप्ताह के सातों दिन दिया जाना चाहिए। विषाक्तता अध्ययन के लिए औषधि अवधि का रिकार्ड प्रत्येक परिणाम के लिए दर्ज किया जाना चाहिए।

### **खुराककीमात्राकास्तर**

कम से कम तीन अलग-अलग खुराक की मात्रा संबंधित समूह को दी जानी चाहिए।

एक खुराक की मात्रा से विषाक्त परिवर्तन (प्रभावहीन खुराक) नहीं होना चाहिए और ऐसी खुराक की मात्रा जो अति विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करती है दी जानी चाहिए। इस श्रेणी के अंतर्गत कम से कम एक और खुराक देने से खुराक प्रतिक्रिया के अवलोकन की संभावना बढ़ जाती है और जो विषाक्त प्रकटीकरण के संदर्भ में देखा जाता है। सभी अध्ययनों में जंतु परीक्षण के वाहक नियंत्रण समूह को सम्मिलित करना चाहिए। सभी अध्ययनों में जंतु परीक्षण के वाहक नियंत्रण समूह को सम्मिलित करना चाहिए।

### **प्रेक्षणऔरपरीक्षा**

प्रेक्षण और परीक्षण निम्नलिखित मर्दों (1 से 6 तक) के आधार पर किया जाना चाहिए

#### **.1 सामान्यचिह्नशरीरकावजनऔरभोजनऔरजल-अंतर्ग्रहण**

परीक्षण किए जाने वाले सभी जंतुओं के सामान्य चिह्न का अवलोकन दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए और शरीर का वजन और लिए जाने वाले भोजन की मात्रा को आवधिक रूप से मापा जाना चाहिए। यदि लाभदायक हो तो, जल अंतर्ग्रहण का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।

मापन की आवृत्ति सामान्यतः निम्नानुसार होनी चाहिए:

शरीर का वजन: औषधि देना आरंभ करने से पूर्व, औषधि देने के प्रथम तीन माह में सप्ताह में कम से कम एक बार और उसके बाद प्रति चार सप्ताह में कम से कम एक बार शरीर का वजन लिया जाना चाहिए।

भोजन अंतर्ग्रहण: औषधि देना आरंभ करने के पूर्व, औषधि देने के प्रथम तीन माह में सप्ताह में कम से कम एक बार और उसके बाद प्रति चार सप्ताह में कम से कम एक बार लिए गए भोजन की मात्रा का भार मापा जाना चाहिए। यदि परीक्षण पदार्थ भोजन में मिश्रित करके औषधि के रूप में दिया जाता है तो लिए गए भोजन की मात्रा का भार सप्ताह में कम से कम एक बार मापा जाना चाहिए।

## **2. रुधिर विज्ञान संबंधी परीक्षण**

कृतकों के रक्त नमूनों को शव-परीक्षा से पूर्व लिया जाना चाहिए। अकृतकों के लिए औषधि देना आरंभ करने से पूर्व औषधि अवधि (एक माह से अधिक लंबे अध्ययन के लिए) के दौरान और शव-परीक्षा से पूर्व कम से कम एक बार रक्त नमूने लिए जाने चाहिए।

रुधिर विज्ञान और रक्त रसायन परीक्षण दोनों के लिए यथासंभव अनेक पैरामीटरों को सम्मिलित करना वांछनीय है।

### 3. वृक्क और यकृत कार्य परीक्षण:

चूंकि यकृत और वृक्क चयापचय और उत्सर्जन के सामान्य अंग हैं, और विषाक्त कारक सहजता से उन्हें प्रभावित करते हैं, दीर्घावधि विषाक्तता अध्ययन में उनके कार्यों का मॉनीटर किया जाना चाहिए। कृतकों के लिए, प्रत्येक समूह से जंतुओं की निश्चित संख्या का चयन किया जाना चाहिए और औषधि देना आरंभ करने से पूर्व मूत्र विश्लेषण किया जाना चाहिए और औषधि अवधि के दौरान कम से कम एक बार परीक्षण किया जाना चाहिए।

### 4. अन्यक्रियापरीक्षण:

यदि उपयुक्त हो तो, ईसीजी और दृश्य-श्रवण संबंधी परीक्षण किए जाने चाहिए। कृतकों के लिए नेत्र विज्ञान संबंधी परीक्षण औषधि अवधि के दौरान कम से कम एक बार प्रत्येक समूह से जंतुओं की निश्चित संख्या पर किए जाने चाहिए। कृतकों के लिए औषधि देना आरंभ करने से पूर्व सभी जंतुओं की औषधि की अवधि के दौरान कम से कम एक बार जांच की जानी चाहिए।

5. परीक्षण के दौरान मृत जंतुओं का यथासंभव शीघ्र शव परीक्षण किया जाना चाहिए। अंगों और ऊतकों का असूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहां संभव है, अंग भार मापन और उत्तक विकृति विज्ञान संबंधी मृत्यु के कारण की पहचान करने का प्रयास और विद्यमान विषाक्त परिवर्तन की प्रकृति (गंभीरता या मात्रा) का परीक्षण करना चाहिए।

6. औषधि दिए जाने की अवधि के दौरान अधिक से अधिक उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सकती है। अतः सभी मरणासन्न जंतुओं को मरने देने के लिए छोड़ने की अपेक्षा उनको मार डालना चाहिए। मारने से पूर्व उनका नैदानिक अवलोकन दर्ज करना चाहिए तथा रुधिर विज्ञान संबंधी और रक्त रसायन विश्लेषण के लिए रक्त नमूना संग्रहित किया जाना चाहिए। शव परीक्षा में अंगों और ऊतकों का असूक्ष्म परीक्षण और अंगों के भार को दर्ज करना चाहिए। सभी विषाक्त परिवर्तन के स्वरूप (मात्रा की गंभीरता) के लक्षणों का पता लगाने के लिए उत्तक विकृति विज्ञान संबंधी परीक्षण किए जाने चाहिए।

सभी उत्तरजीवियों का रुधिर विज्ञान संबंधी )रक्त रसायन सहित( परीक्षण करने के लिए रक्त नमूना लेने के बाद औषधि दिए जाने की अवधि या पुनः ठीक होने की अवधि के अंत में शव-परीक्षण किया जाना चाहिए; अंगों और ऊतकों की असूक्ष्मीय रूप से जांच की जानी चाहिए तथा अंगों का भार दर्ज किया जाना चाहिए। कम खुराक लेने वाले जंतुओं को अंगों और ऊतकों का विकृति विज्ञान संबंधी परीक्षण भी किया जाना चाहिए। यदि इन जंतुओं के अंगों और ऊतकों का मेक्रोस्कोपिक परीक्षण करने पर गंभीर स्वरूप के परिवर्तन देखे जाते हैं या यदि अधिक खुराक लेने वाले समूह में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं वहीं दूसरी ओर, सभी कृतकों की विकृति विज्ञान संबंधी परीक्षण करने से विषाक्तता का पता लगाने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं।

**विषाक्तता में परिवर्तन होने से स्वास्थ्य में सुधार होना**

विषाक्त में परिवर्तन होने से स्वास्थ्य में सुधार होने की जांच करने के लिए जिन जंतुओं को परीक्षण पदार्थ देने की अवधि समाप्त होने के बाद विभिन्न-समय अवधि के लिए जीवित रखा जाता है उनका परीक्षण किया जाना चाहिए।

**संलग्नक-4**

**प्रगति रिपोर्ट के लिए फार्मेट**

1. परियोजना का नाम
2. प्रधान अन्वेषक (नाम और पता)
3. सह अन्वेषक (नाम और पता)
4. अध्ययन करने वाले अन्य वैज्ञानिक कर्मचारी
5. अध्ययन से जुड़े अन्य अवैज्ञानिक कर्मचारी
6. प्रारंभ की तारीख
7. अवधि
8. प्रस्ताव के उद्देश्य
9. रिपोर्ट करने की अवधि के अंत तक अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली
10. उद्देश्यों/कार्य प्रणाली का अंतरिम आशोधन यदि कोई है (औचित्यपूर्ण सहित)
11. प्रगति के बारे में सारांश (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)
12. स्कीम में यथा प्रस्तावित रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्य (शोधपत्रों के साथ)
13. परियोजना का व्यावहारिक मूल्य
14. अनुसंधान कार्य जिसे परियोजना के अंतर्गत किया जाना है ।
15. अनुसंधान कार्य के शेष भाग के लिए यदि अतिरिक्त बजट या कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो उसका औचित्य और विवरण दें ।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर  
तारीख

संस्थाध्यक्ष के हस्ताक्षर

वार्षिक लेखा विवरण के लिए फार्मेट जिसमें अगली किस्त जारी करने के लिए  
अनुरोध किया गया हो।

(वर्ष से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है अर्थात् अगले वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक)

1. संस्वीकृति पत्र सं. ....
2. कुल परियोजना लागत .....रुपए
3. संस्वीकृत/संशोधितपरियोजना लागत (यदि .....रुपए  
लागू हो)
4. परियोजना आरंभ करने कीतारीख .....
5. व्ययविवरण .....

क्र. सं.	आंबटित निधि	किया गया व्यय			(तारीख) के अनुसार शेष	31 मार्च तक निधियों की आवश्यकता	अभ्युक्तियां
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष			
	वेतन						
	उपस्कर						
	पुस्तकें						
	अन्य अनावर्ती व्यय						
	आवर्ती व्यय						
	टी.ए/डी.ए						
	सांस्थानिक सहायता						
	प्रधान अन्वेषक एवं सह अन्वेषक की उपयुक्त फीस उपयुक्त फीस						

	विविध व्यय							
	कुल							

तारीख और मुहर के साथ प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्था अध्यक्ष के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित प्राधिकृत लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर
---	---	--

31मार्च, 20----) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए परियोजना हेतु अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ कवरिंग नोट के लिए जांच सूची

- 1) परियोजना का नाम
- 2) संस्थाओं के नाम
- 3) प्रधान अन्वेषक
- 4) आयुष मंत्रालय की पत्र संख्या और तारीख जिसके द्वारा परियोजना संस्वीकृत की गई
- 5) मूल संस्वीकृति पत्र में दिए गए अनुसार लेखा शीर्ष
- 6) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (कृपया राशि के लिए मंत्रालय की संस्वीकृति पत्र की संख्या और तारीख दें)
- 7) वित्तीय वर्ष के दौरान कुल धनराशि(पूर्वत किस्त से शेष धनराशि सहित) जो वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध थी (वचनबद्धता को छोड़कर)
- 8) वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक) के दौरान किया गया वास्तविक व्यय (वचनबद्धता को छोड़कर)
- 9) वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष धनराशि।
- 10) पहले से ही प्रतिबद्ध की गई धनराशि, यदि कोई है।

जीएफआर-19क  
उपयोगिताप्रमाण-पत्रकेलिएफार्मेट  
(वार्षिक/अंतिम)  
(मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए)

क्रम सं.	संस्वीकृति सं. व तारीख	संस्वीकृत धनराशि	प्रमाण पत्र
			प्रमाणित किया जाता है कि आयुष मंत्रालय के पत्र सं..... के अंतर्गत ..... के पक्ष में वर्ष के दौरान .....संस्वीकृत सहायता अनुदान की .....रुपये की राशि और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की.....रुपये की राशि में से.....रुपये की राशिउस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी और वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष राशि..... पत्र सं.....तारीख .....को आयुष मंत्रालय को लौटा दी गयी है/ अगले वर्ष अर्थात् ..... के दौरान देय सहायता अनुदान के लिए समायोजित की जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया है उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है/उन्हें पूरा किया जा रहा है और यह भी कि मैंने निम्नलिखित जांच यह देखने के लिए की है कि जिस प्रयोजन के लिए राशि संस्वीकृत की गई थी, उसका वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया है।

की जाने वाली जांच के प्रकार:-

1. भारत सरकार का संस्वीकृति आदेश पत्र
2. व्यय का विवरण
- 3.
- 4.

तारीख और मुहर सहित प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्थान के प्राधिकृत लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर
---	---	---

**कोई वित्तीय सहायता प्रमाणपत्र नहीं**  
**(संस्था के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस (संस्था का नाम)के .....(प्रधान अन्वेषक या सह अन्वेषक का नाम) को परियोजना ..... (परियोजना का नाम)के लिए केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/संगठन/संस्था/डीबीटी/डीएसटी/एम्स/आईसीएमआर आदि से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

तारीख और मुहर सहित प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्थान के प्राधिकृत लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर
--	---	---

अंतिम रिपोर्ट के लिए फार्मेट

1. परियोजना का शीर्षक
2. प्रधान अन्वेषक (नाम और पता)
3. सह-अन्वेषक (नाम और पता)
4. अध्ययन में नियोजित अन्य वैज्ञानिक कर्मचारी
5. अध्ययन में नियोजित गैर-वैज्ञानिक कर्मचारी
6. कार्यान्वयन संस्था और अन्य सहयोगी संस्था
7. प्रारंभ करने की तारीख
8. अवधि
9. पूरा करने की तारीख
10. यथा अनुमोदित उद्देश्य
11. परियोजना का कार्यान्वयन करते समय मूल उद्देश्य से हट कर किए गए परिवर्तन, यदि कोई है, तथा उसके कारण
12. प्रायोगिक कार्य जिसमें प्रायोगिक सेट अप, अपनाई गई पद्धति, अनिवार्य तालिका, चार्ट, आरेख, फोटोग्राफ द्वारा समर्थित संग्रहित आंकड़ों के पूर्ण विवरण दिए गए हों।
13. विस्तृत विश्लेषण के परिणाम जिसमें संबद्ध विषय में जानकारी बढ़ाने के लिए किए गए योगदान को भी दर्शाया गया हो।
14. भावी कार्य के लिए उपलब्धियां और कार्यक्षेत्र का उल्लेख करते हुए संक्षेप में निष्कर्ष
15. उपकरणों की खरीद/उपयोग

क्रम सं.	उपकरण का नाम	मेक/मॉडल	लागत एफ ई/रुपये	अधिष्ठापन की तारीख	उपयोगिता दर%	अनुरक्षण /टूट-फूट के संबंध में अभ्युक्तियां
----------	--------------	----------	-----------------	--------------------	--------------	---

16. प्रकाशन के लिए पांडुलिपि (काउंसिल के बुलेटिन में संभव प्रकाशन के लिए 300 शब्द) तारीख सहित नाम और हस्ताक्षर

1 . .

)प्रधानअन्वेषक(

2.

(सह अन्वेषक)

अंतिम व्यय के विवरण के लिए फार्मेट  
(अंतिम रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाए)  
(मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए)

1. संस्वीकृति पत्र सं.:
2. कुल परियोजना लागत:  
)संस्वीकृत/संशोधितपरियोजनालागत, यदिलागूहो(:
3. परियोजना आरंभ करने की तारीख:
4. परियोजना पूर्ण होने की तारीख:
5. प्रत्येक वर्ष में प्राप्त अनुदान(वित्तीय):

प्रथमकिस्त:अनुदानजारीकरनेकीतारीख.....प्राप्तअनुदान..... रुपये  
द्वितीयकिस्त:अनुदानजारीकरनेकीतारीख.....प्राप्तअनुदान.....रुपये  
तृतीयकिस्त:अनुदानजारीकरनेकीतारीख.....प्राप्तअनुदान.....रुपये

6.व्ययविवरण:

क्र.सं.	संस्वीकृत/शीर्ष (प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत सभी मदों का उल्लेख करें)	आबंटित निधि	किया गया व्यय: वित्तीय वर्ष-वार					तक शेष राशि (तारीख)	अभ्युक्तियां
			प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	शेष राशि 10%	रोकी गई राशि 10%		
1	वेतन								
2	उपस्कर								
3	पुस्तकें								
4	अन्य अनावर्ती व्यय								
5	आवर्ती व्यय								
6	टीए/डीए								
7	संस्थागत सहायता								

	प्रभार								
8	प्रधान अन्वेषक और सह अन्वेषक की उपयुक्त फीस								
9	विविध व्यय								
10	कुल								

लौटाई जाने वाली/प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि/(जो भी उपयुक्त हो): .....रुपये

तारीख और मुहर सहित प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्था के अध्यक्ष के हस्ताक्षर	तारीख और मुहर सहित संस्थान के प्राधिकृत लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर
---	---	---

गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता जारी करने  
हेतु सामान्य शर्तें

1. संस्था को इस संगठन के नाम से बैंक में विशेष रूप से एक अलग खाता खोलना चाहिए न कि किसी व्यक्ति के नाम या पदनाम से। यह खाता दो पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रचालित किया जाना चाहिए।
2. अनुदान की समस्त राशि का उपयोग मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि में किया जाना चाहिए और केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है।
3. यदि अनुदान या उसके किसी भाग का उपयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है, से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है तो इसके लिए भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
4. संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के तत्काल बाद सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) या सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए। अनुदान के खातों का समुचित रूप से रख-रखाव किया जाएगा और उसे उसके सामान्य कार्यकलापों से अलग रखा जाएगा और जब कभी अपेक्षित हो, प्रस्तुत किया जाएगा। इन खातों को इस मंत्रालय द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति के निरीक्षण करने के लिए सदैव खुला रखना होगा। इन खातों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वविवेक से उसके द्वारा नमूना जांच के लिए भी खुला रखा जाएगा।
5. (i) अनुदानग्राही संस्था केवल दो जमानतदारों के साथ गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (वैयक्तिक रूप में नहीं) निर्धारित प्रोफार्मा में इस आशय का एक बंधपत्र तैयार करेगा कि यह संगठन अनुदान की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा। इन शर्तों का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में या बंधपत्र के भंग होने पर अनुदानग्राही अपने जमानतदारों के साथ वैयक्तिक और संयुक्त रूप से भारत सरकार को अनुदान की संपूर्ण राशि पर लगने वाले ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (ii) यदि अनुदानग्राही संस्था सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या को-ओपरेटिव सोसाइटी के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है; अथवा को-ओपरेटिव सोसायटी है तो दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी; और
- (iii) जब बंधपत्र पर दो जमानतदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तो दोनों ही शोधक्षम और ऐसी आस्ति के स्वामी होने चाहिए जिसका मूल्य बंधपत्र की राशि से कम न हो और जिसे जिला मजिस्ट्रेट या बंधपत्र के निकाय के अन्य समतुल्य के द्वारा निष्पादन करते हुए कुर्क या बेचा जा सकता हो;

6. संस्था को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि अनुदान की सम्बद्ध अवधि के दौरान केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा इसी प्रयोजन के लिए अनुदानग्राहीको कोई राशि संस्वीकृत नहीं की गई है।
7. जब केंद्र या राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि संस्वीकृत राशि अनुमोदित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं की जा रही है तो आगे दी जाने वाली अनुदान के भुगतान को रोका जा सकता है और पहले के अनुदान को वापस लिया जा सकता है;
8. अनुदानकेजिसभाग,  
काउपयोगउसउद्देश्यपरव्ययनहींकियागयाहैजिसकेलिएइसेसंस्वीकृतकियागयाथातोइसस्थितिमेंय  
हराशिइसमंत्रालयमेंभारतसरकारकोवापसलौटायीजाएगी;
9. इस अनुदान का कोई भी भाग राजनैतिक आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हो;
10. कंप्यूटरऔरसॉफ्टवेयरसहितआवश्यकवैज्ञानिकउपकरणयदिआवश्यकहोंतोअनावर्तीव्ययकेरूपमेंउन  
कीअनुमतिदीजासकतीहै।हालांकि, ऐसीव्ययकीराशिकुलपरियोजनालागतके 25  
%सेअधिकनहींहोगी।परियोजनाकेपूर्णहोनेकेबादउपकरणमेजबानसंस्थाकीसंपत्तिहोजाएगी।इनकाक्रय  
मेजबानसंस्थाकेनियमएवंकार्यप्रणालीकेअनुसारकियाजाताहै।आकस्मिकव्ययसेक्रयकीगईपुस्तकोंको  
प्रधानअन्वेषककेद्वारारखाजासकताहै।
11. अनुदानग्राही भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा
12. अनुदानग्राही संस्थाओं को लिखित में यह वचन देना चाहिए कि अनुदानग्राही इस संलग्नक  
और संस्वीकृति पत्र में उल्लिखित अनुदान की शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत  
हैं;
13. अनुदान ग्राही को अनुदान पूर्णतः प्रयुक्त होने के बाद संस्थाओं के द्वारा इस मंत्रालय को  
सनदी लेखाकार/लेखापरीक्षक के द्वारा सही रूप में विधिवत् प्रमाणित निम्नलिखित  
दस्तावेज अग्रेषित करने चाहिए:-  
(i) इस आशय का उपयोगिता प्रमाण पत्र कि अनुदान जिस प्रयोजन के लिए संस्वीकृत किया  
गया था उसका प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है; और  
(ii) लेखाओंकालेखापरीक्षितविवरणजिसमेंअनुदानऔरउसमेंसेमदोंपरकिएगएव्ययदर्शाएगएहों।

समयावधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(परियोजना की समाप्ति की तारीख से छह माह पूर्व भेजी जाने वाली चार प्रतियां)

1. संदर्भ संख्या:
2. अन्वेषक का नाम:
3. परियोजना का शीर्षक:
4. ....से.....तक परियोजना की अनुमोदित अवधि
5. ....से..... तक अनुमोदित अनुसार बढ़ाई गई अवधि
6. मूल उद्देश्य (परियोजना प्रस्ताव से उद्धरित)
  - क)
  - ख)
  - ग)
7. अबतकप्राप्तपरिणाम) उद्देश्योंकीप्राप्तिकेसंबंधमें(
8. उद्देश्योंकास्पष्टविवरणजिसेअभीतकप्राप्तनहींकियागयाहैकिंतुविस्तारितअवधिकेदौरानप्राप्तकियाजाएगा:
9. वित्तीय निहितार्थ:
  - क) कुल संस्वीकृत राशि:
    - ख) वर्तमान संस्वीकृत अवधि के अंत तक कुल प्रत्याशित व्यय
    - ग) विस्तारित अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय
      - ग.1. जनशक्ति लागत (मौजूदा स्तर पर) वर्तमान स्तर से अभिप्राय पिछले 6 से 12 माह के व्यय के औसत से है।
      - ग.2. खपत योग्य (मौजूदा स्तर पर)
      - ग.3. यात्रा (यदि पूर्णतः अनिवार्य हो)
    - ग.4. आकस्मिक व्यय
  - घ) आयुष मंत्रालय को लौटाई जाने वाली प्रत्याशित राशि
- या संस्वीकृत राशि के अतिरिक्त प्रत्याशित राशि

प्रधान अन्वेषक का नाम व हस्ताक्षर  
मुहर

संस्था के अध्यक्ष का नाम और हस्ताक्षर  
मुहर



ईएमआरघटकोंकेतहतविभिन्नप्रकारकीपरियोजनाओंकेलिएवित्तीयसहायताकेनिर्दर्शन नीचेदिएगएहैं:-

**निर्दर्शन-I**

साहित्यिक अनुसंधान/नीति अनुसंधान/महामारी विज्ञान अनुसंधान के लिए लागत मानदंड

शीर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
कनिष्ठ अध्येता(01)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	
<b>आईसीएमआर के कार्यालयआदेशसंख्या16/139/2014-प्रशा.-IIदिनांक11.06.2019 और विज्ञानएवंप्रौद्योगिकीविभागके कार्यालयआदेशसंख्या08/2018 दिनांक30 जनवरी, 2019 केअनुसारदरें।</b>				
डाटाएंट्रीऑपरेटर (01)	20,000 रुपयेप्रतिमाह	21,000 रुपयेप्रतिमाह (5% वार्षिकवेतनवृद्धिसहित)	22,050 रुपयेप्रतिमाह (5% वार्षिकवेतनवृद्धिसहित)	
फील्डवर्कर (02)	20,000 रुपयेप्रतिमाह	21,000 रुपयेप्रतिमाह (5% वार्षिकवेतनवृद्धिसहित)	22,050 रुपयेप्रतिमाह (5% वार्षिकवेतनवृद्धिसहित)	20,000
आवर्तीव्यय (वेतनका20%)				
उपकरण (वेतनका5%)	उपकरणोंकेलिएबजटहेतु विनियोगकीमांगप्रथमवर्षमेंकीजाएगी			
आकस्मिकता (वेतनका5%)				
प्रधान अन्वेषककेलिएशुल्क*	-	-		90,000 (परियो भुगतान)
सह-अन्वेषककेलिएशुल्क*	-	-		45,000 (परियो भुगतान)
संस्थागतसहायता (5% उपकरणोंकीलागतकोछोड़कर)	-	-	-	

(\*प्रधान अन्वेषकऔरसह-अन्वेषकको देय शुल्क सरकारीसेवाकेअन्वेषकके लिए लागू नहींहैं)

निर्दर्शन-II

नैदानिक अनुसंधानके लिए लागत मानदंड

शीर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
अनुसंधान सहयोगी(01)	12 महीनेकेलिए47,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए49,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए54,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	
कनिष्ठ अध्येता(01)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	
<b>आईसीएमआर के कार्यालयआदेशसंख्या16/139/2014-प्रशा.-II दिनांक11.06.2019 और विज्ञानएवंप्रौद्योगिकीविभाग के कार्य 08/2018 दिनांक30 जनवरी, 2019 केअनुसारदरें।</b>				
लैब तकनीशियन	20,000 रुपयेप्रतिमाह	21,000 रुपयेप्रतिमाह (5% वार्षिकवेतनवृद्धिसहित)	22,050 रुपयेप्रतिमाह (5% वार्षिकवेतनवृद्धिसहित)	
आवर्तीव्यय (वेतनका20%)				
उपकरण (वेतनका10%)	उपकरणोंकेलिएबजटहेतु विनियोगकीमांगप्रथमवर्षमेंकीजाएगी			
आकस्मिकता (वेतनका5%)				
प्रधान अन्वेषककेलिएशुल्क *	-	-		90,000 (परियो भुगतान)
सह-अन्वेषककेलिएशुल्क *	-	-		45,000 (परियो भुगतान)
संस्थागतसहायता (5% उपकरणोंकीलागतकोछोड़कर)	-	-	-	

(\*प्रधान अन्वेषकऔरसह-अन्वेषकको देय शुल्क सरकारीसेवाकेअन्वेषकके लिए लागू नहींहैं)

**निदर्शन-III**

नई औषधि के विकास हेतु अनुसंधान/औषधि वितरण प्रणाली/उपकरणों/नैदानिक उपकरणों/रोग जांच उपकरणों/बायोमार्कर्स आदि के लिए लागत मानदंड

शीर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
अनुसंधान सहयोगी(01)	12 महीनेकेलिए47,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए49,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए54,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	
कनिष्ठ अध्येता(01)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	12 महीनेकेलिए31,000 रुपये + (8, 16 और24% की दर से एचआरए)	
आईसीएमआर के कार्यालयआदेशसंख्या16/139/2014-प्रशा.-II दिनांक11.06.2019 और विज्ञानएवंप्रौद्योगिकीविभाग सं.एसआर/एस9/जेड-08/2018 दिनांक30 जनवरी, 2019 केअनुसारदरें।				
आवर्तीव्यय (वेतनका20%)				
उपकरण (वेतनका10%)	उपकरणोंकेलिएबजटहेतु विनियोगकीमांगप्रथमवर्षमेंकीजाएगी			
आकस्मिकता (वेतनका5%)				
प्रधान अन्वेषककेलिएशुल्क *	-	-		90,000 (परियोजनाकेस भुगतान किया
सह-अन्वेषककेलिएशुल्क *	-	-		45,000 रुपये (परियोजनाकेस भुगतान किया
संस्थागतसहायता (5% उपकरणोंकीलागतकोछोड़कर)	-	-	-	

(\*प्रधान अन्वेषकऔरसह-अन्वेषकको देय शुल्क सरकारीसेवाकेअन्वेषकके लिए लागू नहींहैं)